मानव अधिकार आयोग
मध्यप्रदेश

okf"kd ifronu
2008-09

पर्यावास भवन, प्रथमतल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल
फोन : 2572034, फैक्स : 0755-2574028
E-mail : mphrc@sancharnet.in
Tollfree No.: 1800-2336399

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2008-2009

विषय सूची

क्रं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	3
2.	प्राप्त शिकायतें एवं निराकरण की जानकारी	4
3.	आवंटन एवं व्यय	7
4.	स्वीकृत पदों की सूची	8
5.	पुस्तकालय	10
6.	प्रचार-प्रसार	10
7.	बैठकें, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण सत्र, व्याख्यान और अनुशंसाएं	11
8.	अनुशंसाएं	14

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के पदाधिकारियों की जानकारी वर्ष 2008- 2009

क्र.	पदाधिकारी का नाम व पद	नियुक्ति दिनांक
1.	न्याय. श्री डी.एम. धर्माधिकारी, मान. अध्यक्ष महोदय	22-8-2005 (पूर्वान्ह)
2.	न्याय. श्री एन.एस. 'आजाद' मान. सदस्य महोदय	15-6-2004 (अपरान्ह)
3.	श्री विजय शुक्ल, मान. सदस्य महोदय	28-3-2007 (अपरान्ह)
4.	डॉ. ए. एन. अस्थाना प्रमुख सचिव	31-07-2007 से 02-12-2008 तक
5.	श्री राकेश अग्रवाल, प्रमुख सचिव	26-12-2008 (पूर्वान्ह)

प्रस्तावना

मानव अधिकारों का संरक्षण एक व्यापक विषय है। इसमें मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा जैसे अधिकार शामिल हैं। सरकार के विभिन्न विभागों को राज्य के नागरिकों को उनके ये अधिकार दिलाने के लिए कम से कम 22 विभागों के माध्यम से सेवा-सुविधाओं को मुहैया कराना होता है। सात करोड़ आबादी वाले इस विशाल प्रदेश में सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रशासकीय अमले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जन सामान्य को सुलभ कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उन्हें यथा समय देते रहें। लेकिन इतनी बड़ी शासकीय व्यवस्था में बिना किसी चूक के सब लोगों को सरकारी सेवा सुविधाओं का लाभ मिलता रहे यह बहुत कठिन कार्य है। वैसे भी प्रशासकीय अमला, आम आदमी के बीच में से ही निकलकर आता है। इनमें से अनेक लोग तो सेवा भावी होते हैं, लेकिन कुछेक अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपेक्षानुसार नहीं करते, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे पीड़ित लोग अपनी दुख तकलीफें मानव अधिकार आयोग में बतलाते हैं। आयोग ने यह महसूस किया कि व्यक्तिगत शिकायतों के अलावा भी अन्य अनेक ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समयबद्ध निराकरण यदि न हो तो समग्र रूप से लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पाना संभव नहीं होता। कुछेक मानवीय आवश्यकताएं तो ऐसी हैं कि जिनकी जानकारी जन सामान्य को होना जरूरी है। क्योंकि नियम-कानूनों और संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी तंत्र की उदासीनता के कारण, लोगों को ये सेवा सुविधाएं मिल ही नहीं पातीं।

एक पुरातन सोच है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक अपनी ताकत और सामर्थ्य के अनुसार बहुत बड़े अंधियारे क्षेत्र में उजाला कर देता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने समाज में जन चेतना जाग्रत करना भी जरूरी समझा है। इसलिये मुख्यालय भोपाल से दूर हटकर आयोग ने वर्ष 2008-09 के दरम्यिान लोक महत्व की अति महत्वपूर्ण कार्यशालाएं न केवल आयोजित कीं, बल्कि उनके व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रबंध भी किया। आयोग ने आलोच्य वर्ष में "मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका", "डकैती प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण", "महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका", "स्वास्थ्य का अधिकार" विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की। इनके अलावा "हड़ताल, बंद और मानव अधिकार", "आतंकवाद बनाम मानवतावाद", "21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियां", "सर्वधर्म समभाव", "डॉक्टर-मरीज के संबंधों में घटते विश्वास का समाधान", "भारतीय महिलाओं के कानून और मानव अधिकार" संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। ये कार्यशालाएं और संगोष्ठियां भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और बुरहानपुर आदि शहरों में आयोजित की गईं।

मैदानी इलाकों में मानव अधिकारों के संरक्षण का काम और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग ने जिला स्तर पर लगभग दो सौ मानसेवी आयोग मित्रों को मनोनीत करने की उल्लेखनीय पहल की है। मध्य प्रदेश में किये गये इस प्रयास को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी सराहा है। राष्ट्रीय आयोग ने तो इन आयोग मित्रों की दक्षता वृद्धि के इरादे से इनको लघु प्रशिक्षण देकर इनकी सेवाएं पीड़ितों के हित में लेने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय आयोग की अपेक्षा के अनुसार भोपाल के अलावा सतना, इंदौर और जबलपुर में आयोग मित्रों की कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में आयोग मित्रों को यह स्पष्ट किया गया कि वे किस प्रकार पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। आयोग की प्रचार प्रसार की गतिविधियों से राज्य में लोगों को एक ओर जहां अपने अधिकारों की जानकारियां मिलने लगी हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की जानकारी भी मिलने लगी है कि वे किस प्रकार सरकारी माध्यमों से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। आयोग की इस पहल से प्रशासकीय क्षेत्रों में प्रभावी सुधार की अपेक्षाएं हैं।

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

वर्ष में प्राप्त शिकायतों की जानकारी

वर्ष	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें 2+3–4 = 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1995–96 (13.09.1995)	–	645	156	489
1996–97	489	1611	1294	806
1997–98	806	4968	4131	1643
1998–99	1643	5421	4476	2588
1999–00	2588	10816	5954	7450
2000–01	7450	13078	9964	10564
2001–02	10564	13192	10588	13168
2002–03	13168	15330	16007	12491
2003–04	12491	14992	15492	11991
2004–05	11991	15497	17599	9889
2005–06	9889	15655	15811	9733
2006–07	9733	15107	15159	9681
2007–08	9681	14648	12390	11939
2008–09	11939	14330	13752	12517

दिनांक 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च, 2009 तक प्रकरणों की स्थिति

कुल पंजीयन : 14330

निराकृत : 8767

प्रकरणों की वर्गवार स्थिति

क्र.	वर्गवार	प्राप्त शिकायत
1.	पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु	3
2.	जेल अभिरक्षा में हुई मृत्यु	81
3.	चिकित्सा	119
4.	शासकीय सेवा	2217
5.	शिक्षा	239
6.	पर्यावरण	27
7.	नागरिक सुविधा	16
8.	पुलिस	8986
9.	जेल	149

प्राप्त शिकायतों का विवरण

दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	1 अप्रैल 08 से 31 मार्च, 09 तक प्राप्त शिकायतें	निराकृत प्रकरण 1 अप्रैल, 08 से 31 मार्च, 09 तक	वर्ष के अंत में लंबित प्रकरण (4 - 5=6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1. चम्बल	श्योपुर	94	53	41
2.		मुरैना	241	159	82
3.		भिण्ड	228	107	121
4.	2. ग्वालियर	ग्वालियर	604	379	225
5.		शिवपुरी	216	123	93
6.		गुना	224	139	85
7.		दतिया	158	100	58
8.		अशोकनगर	110	80	30
9.	3. उज्जैन	देवास	252	147	105
10.		रतलाम	401	257	144
11.		शाजापुर	255	178	77
12.		मंदसौर	474	223	251
13.		नीमच	160	111	49
14.		उज्जैन	517	325	192
15.	4. इन्दौर	इन्दौर	793	478	315
16.		धार	183	121	62
17.		झाबुआ	148	71	77
18.		खरगोन	167	116	51
19.		बड़वानी	76	46	30
20.		खण्डवा	189	128	61
21.		बुरहानपुर	195	121	74

22.	5. भोपाल	भोपाल	1914	1032	882
23.		सीहोर	278	167	111
24.		रायसेन	352	218	134
25.		राजगढ़	219	146	73
26.		विदिशा	345	244	101
27.		बैतूल	336	217	119
28.	6. होशंगाबाद	होशंगाबाद	411	288	123
29.		हरदा	125	73	52
30	7. सागर	सागर	592	400	192
31.		दमोह	142	89	53
32.		पन्ना	109	63	46
33.		छतरपुर	266	163	103
34.		टीकमगढ़	205	123	82
35.	8. जबलपुर	जबलपुर	548	305	243
36.		कटनी	180	127	53
37.		नरसिंहपुर	277	194	83
38.		छिन्दवाड़ा	410	288	122
39.		सिवनी	173	94	79
40.		मण्डला	97	58	39
41.		डिण्डोरी	46	30	16
42.		बालाघाट	140	84	56
43.	9. रीवा	रीवा	514	307	207
44.		शहडोल	160	99	61
45.		उमरिया	75	51	24
46.		सीधी	238	142	96
47.		सतना	397	242	155
48.		अनुपपूर	96	61	35
	कुल योग:		**14330**	**8767**	**5563**

वर्ष 2008-2009 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी

33 जिला 05

0520101001 – मुख्य लेखाधिकारी मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल

2052 मांग संख्या – 02 – सामान्य प्रशासन विभाग में संबंधित अन्य व्यय (092) – अन्य कार्यालय 01-02- (नॉन प्लान)

(8243) – मानव अधिकार आयोग को सहायक अनुदान # 42 सहायक अनुदान

01 – सामान्य प्रशासन विभाग 0101 – सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आंकडे लाख रुपयों में)

वित्तीय वर्ष 2008-2009 में आयोग को राशि रु. 2,43,00,000/- का आंवटन उक्त लेखा शीर्ष में प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध निम्नानुसार व्यय हुआ :-

01 वेतन	**राशि लाख रु. में**
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	154.74
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	7.49
010 अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.)	2.60
013 मानदेय (चिकित्सक परामर्श शुल्क)	0.48
योग उद्देश्य – 01	165.31
03 यात्रा भत्ता	6.31
04 कार्यालय व्यय	
001 डाक तार व्यय	2.79
002 दूरभाष व्यय	3.56
003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण/कम्प्यूटर	7.49
004 पुस्तकें एवं नियतकालिक	2.43
005 बिजली एवं जल प्रभार	5.24
006 वर्दियां	0.39
007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	20.70
008 अन्य आकस्मिक व्यय	2.09
योग उद्देश्य -04	44.69
04 पेट्रोल, तेल आदि	8.35
07 किराया, महसूलकर/कार्या. भवन लीज़ रेंट अनु.	.....
17 सेमीनार एवं सम्मेलन	11.16
24 अनुरक्षण कार्य (वाहन मरम्मत सहित)	2.45
27 लघु निर्माण कार्य	.....
कोरग्रुप शिकायत प्रकोष्ठ पर व्यय/अग्रिम	3.24
23 मा. अध्यक्ष निवास कार्यालय साज-सज्जा	0.53
23 मा. अध्यक्ष निवास कार्यालय व्यय	1.00
कुल योग	243.04

परिशिष्ट 'अ'

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में

स्वीकृत पदों की सूची

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	अध्यक्ष	1	
2.	सदस्य	2	
3.	सचिव	1	18400-22400 भा.प्र. से के सुपर टाईम स्केल
4.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	1	22400-525-24500

आयोग के अध्यक्ष के लिए			
1.	निज सचिव	2	संवर्ग वेतनमान
2.	सहायक ग्रेड-2	1	4000-100-6000
3.	सहायक ग्रेड-3	1	3050-75-3950-80-4590
4.	जमादार	1	2610-60-3150-65-3540
5.	भृत्य	1	2550-55-2660-3200
6.	चौकीदार	1	2550-55-2660-3200

आयोग के सदस्यों के लिए			
7.	निज सचिव	4	संवर्ग वेतनमान
2.	सहायक ग्रेड-3	4	3050-75-3950-80-4590
3.	जमादार	4	2610-60-3150-65-3540
4.	भृत्य	4	2550-55-2660-60-3200
5.	चौकीदार	4	2550-55-2660-60-3200

आयोग के कार्यालय के लिए			
1.	उप सचिव	1	12000-375-16500
2.	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क)	1	12000-375-16500
3.	रजिस्ट्रार (लॉ)	1	18750-400-19150-450-21850-500-22850
4.	लेखाधिकारी	1	8000-275-13500
5.	रिसर्च आफिसर (कम-स्टेटिश्यन)	1	8000-275-13500

6.	अनुभाग अधिकारी	1	6500-200-10500
7.	सहायक ग्रेड-1	1	4500-125-7000
8.	स्टेनोग्राफर (सचिव के लिए)	1	5000-150-8000
9.	शीघ्रलेखक	1	4500-125-7000
10.	सहायक प्रोग्रामर	1	4500-125-7000
11.	सहायक लायब्रेरियन	1	4500-125-7000
12.	अकाउंटेंट कम केशियर	1	4000-100-6000
13.	सहायक ग्रेड-2	2	4000-100-6000
14.	सहायक ग्रेड-3	7	3050-75-3950-80-4590
15.	रिसेप्शनिस्ट	1	3050-75-3950-80-4590
16.	वाहन चालक	7	3050-75-3950-80-4590
17.	दफ़्तरी	1	2610-60-3150-65-3540
18.	भृत्य	3	2550-55-2660-60-3200
19.	फर्राश	1	2550-55-2660-60-3200
20.	वाहन चालक	1	जिलाध्यक्ष दर
21.	भृत्य कम बुक लिफटर	1	जिलाध्यक्ष दर

अनुसंधान दल के लिए			
1.	पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	1	14300-400-18300
2.	उपपुलिस अधीक्षक	3	8000-275-13500
3.	निज सचिव	1	6500-200-10500
4.	निज सहायक	2	5500-175-9000
5.	निरीक्षक	6	5500-175-9000
6.	स्टेनोटायपिस्ट	4	3050-75-3950-80-4590
7.	आरक्षक	16	3050-75-3950-80-4590
8.	वाहन चालक	4	3050-75-3950-80-4590
9.	भृत्य	4	2550-55-2660-60-3200

पुस्तकालय

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 के संबंध में आयोग में स्थापित पुस्तकालय में 'पुस्तकालय अधिग्रहण पंजी' के अनुसार 3336 पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकालय पंजी के माध्यम से पुस्तकालय में आगम-निर्गम (Circulation) की प्रक्रिया होती है। विधि पुस्तकों एवं मानव अधिकार से समृद्ध साहित्य का उपयोग इस विशिष्ट पुस्तकालय में किया जा सकता है। इसके समृद्ध साहित्य का उपयोग मुख्य रूप से माननीय अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी तथा शोधार्थी करते हैं।

पुस्तकालय में प्रतिदिन हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्र एवं पत्रिकायें आते हैं। ये आयोग के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा भी पढ़े जाते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा समाचार पत्रों से मानव अधिकार एवं इससे संबंधित विषयों जैसे शोषण, अत्याचार, प्रदूषण, अधिकारों का हनन एवं पुलिस से जुड़े मामलों की कतरनें काटकर आयोग के अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण कतरनों के माध्यम से आयोग द्वारा विभिन्न मामलों में संज्ञान लिया जाता है।

समय :- पुस्तकालय प्रात: 10.30 से शाम 05.30 तक खुलता है। रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर शेष अन्य दिनों में पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है।

संकलित साहित्य :- आयोग पुस्तकालय में विधि पुस्तकों का बहुत अच्छा संकलन है। पुस्तकालय में तीन विदेशी विधि पुस्तकें (Law Journals) आते हैं, ये हैं :-

1. Butterworths Human Rights Cases, 2. Public Law, 3. Human Rights Quarterly आदि।

इन संकलित पुस्तकों में आधे से अधिक पुस्तकें विधि से संबंधित है। विधि विषय का एक भाग 'मानव अधिकार' है, इसका यहां बहुत सुन्दर एवं उपयोगी संकलन हैं। अन्य विषयों के साहित्य कम मात्रा में हैं। विधि से संबंधित नियमित आने वाली पुस्तकों की संख्या तेरह हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य पत्रिकाओं की संख्या सोलह से अधिक हैं तथा उन्नीस प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र आते हैं।

पुस्तकालय उपयोगकर्ता या पाठक :- आयोग कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसके नियमित एवं आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करते हैं। विधि कक्षाओं जैसे बी.ए.एल.बी., एल.एल.बी., एल.एल.एम., एम.फिल. तथा पी.एच.डी. हेतु शोध कर रहे छात्र तथा शोधार्थी पूरे वर्ष भर पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। इस समय पुस्तकालय में छ: अनुसंधानकर्ता है जो पी.एच.डी. कर रहे हैं, ये हैं 1. श्रीमती विज्ञा तिवारी 2. श्रीमती संजुष सिंह भदौरिया 3. श्रीमती रागिनी जैन 4. श्री बी.के. चौरसिया 5. पी.वी. श्रीवास्तव 6. श्री दिनेश जोशी आदि।

जनसंपर्क कक्ष द्वारा वर्ष 2008-09 में प्रचार प्रसार के लिए किया गया कार्य

- आयोग की गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए आलोच्य अवधि में बारह हिन्दी तथा बारह अंग्रेजी मासिक न्यूज लेटर जारी किये गये।
- विभिन्न विषयों पर चार त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया।
- आयोग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित पन्द्रह कार्यक्रमों का कव्हरेज कर समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों पर प्रकाशन एवं प्रसारण कराया गया।
- साल भर में आयोग के लगभग 125 समाचारों का प्रकाशन किया गया।
- आयोग के पदाधिकारियों की वर्ष भर में दस पत्रकार वार्ताएं आयोजित कराई गईं।
- राजधानी भोपाल के अलावा आयोग के पदाधिकारियों द्वारा ग्वालियर, इंदौर, सतना, जबलपुर और बुरहानपुर आदि स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार माध्यमों के लिए व्यापक कव्हरेज किया गया।
- आयोग द्वारा आलोच्य वर्ष में "मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका", "डकैती प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण", "महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका", "स्वास्थ्य का अधिकार" विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इनके अलावा "हड़ताल बंद और मानव अधिकार", "आतंकवाद बनाम मानवतावाद", "21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियां", "सर्वधर्म समभाव", "डॉक्टर-मरीज के संबंधों में घटते विश्वास का समाधान", "भारतीय महिलाओं के कानून और मानव अधिकार" संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों के आयोजन में समन्वय और सक्रिय भागीदारी के साथ ही कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का राज्य स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया।
- वर्ष भर में विभिन्न समाचार पत्रों में मानव अधिकारों के हनन की लगभग पचास खबरों का मानिटरिंग कर उन पर संज्ञान लिया गया।
- मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकने में प्रचार माध्यमों की महती भूमिका है। राज्य के पत्रकारों के साथ समन्वय करके आयोग के कार्यों का प्रचार प्रसार करने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की "रेडियो चर्चा" तथा दूर दर्शन पर आयोजित "जनमंच" आदि कार्यक्रमों की सफल रिकार्डिंग करवाकर मानव अधिकार का संदेश राज्य के करोड़ों नागरिकों तक पहुंचाया गया।

बैठकें, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण सत्र, व्याख्यान और अनुशंसाएं

बैठकें

- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में विगत चार अप्रैल, 2008 को भोपाल की बड़ी झील के पानी की शुद्धता बढ़ाने तथा झील को प्रदूषण मुक्त रखने से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक आयोजित हुई। आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल, प्रमुख सचिव डॉ. ए.एन. अस्थाना, प्रमुख सचिव आवास और पर्यावरण श्री देवराज बिरदी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री राघव चन्द्रा, एप्को की कार्यपालक निदेशक श्रीमती अलका उपाध्याय, भोपाल नगर निगम के आयुक्त श्री निकुंज श्रीवास्तव, सीनियर सिटीजन फोरम के पदाधिकारी सर्वश्री अरुण गुर्टू, प्रलय बागची, डी.के. मित्रा, कैप्टन एस.एच. अली भी बैठक में उपस्थित थे।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री विजय शुक्ल की अध्यक्षता में विगत 24 मई, 2008 को सीहोर, देवास और हरदा जिलों की महिला पंच-सरपंचों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में इन ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से उनके काम में आने वाली दिक्कतों का जायजा लिया गया। उन्हें बताया गया कि वे किस प्रकार विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर सर्वहारा लोगों की मददगार बन सकती हैं।
- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में विगत 27 अगस्त, 2008 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल से निकलने वाले तरल अपशिष्टों को राजधानी के मुख्य जलस्त्रोत बड़े तालाब में मिलने न दिया जाए, इस संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। इसमें आयोग के पदाधिकारी तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के डीन, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक, पीएचई के प्रमुख अभियंता श्री सुधीर सक्सेना और प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी श्री आलोक सिंघई उपस्थित थे।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने कहा है कि जेलों में सजा काटकर रिहा हुए पूर्व बंदियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के काम में स्वयंसेवी संगठनों को मदद करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि सजायाफ्ता बंदियों को ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये जाना चाहिये कि वे जेल से छूटने के बाद गुनाह के रास्ते पर जाने के बजाए रोटी रोजी कमाने के कामों में लगकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। श्री धर्माधिकारी ने यह बात विगत तीन जनवरी, 09 को भोपाल में बंदियों के पुनर्वास और रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत एनजीओ 'सुधार' में पदाधिकारियों की बैठक में कहीं। बैठक में आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल के अलावा सुधार संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यशालाएं

- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी की उपस्थिति में भोपाल में विगत एक मई, 2008 को "मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका" विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर, मुख्य सूचना आयुक्त श्री पी.पी. तिवारी, मानव अधिकार आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, डीआईजी सुश्री अनुराधा शंकर विशेष रूप से उपस्थित थे।
- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में विगत एक अगस्त, 2008 को ग्वालियर में "डकैती प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण" विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल, प्रमुख सचिव डॉ. ए.एन. अस्थाना, ग्वालियर और चंबल रेंजों के आई.जी. द्वय श्री डी.एस. सेंगर और श्री अरविंद कुमार, डीआईजी श्री आदर्श कटियार, कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी और एस.पी. श्री व्ही.के. सूर्यवंशी उपस्थित थे।
- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में ग्वालियर में विगत एक अगस्त 2008 को "महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम में पुलिस की भूमिका" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में आयोग के पदाधिकारी तथा ग्वालियर और चंबल रेंजों के पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। श्री धर्माधिकारी ने कहा कि छुट-पुट आपराधिक मामलों की शिकायतें भी अब बड़ी संख्या में पुलिस के पास आने लगी हैं, ऐसे में कम्युनिटी पुलिसिंग प्रणाली शुरू कर शांति और व्यवस्था में आम आदमी का सहयोग लेना समय की मांग बन गया है।
- राज्यपाल डॉ. बलराम जाखड़ के मुख्य आतिथ्य में विगत 13 सितंबर, 08 को भोपाल में "स्वास्थ्य का अधिकार" कार्यशाला आयोजित हुई। डॉ. जाखड़ ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकारी तंत्र को आम आदमी की मदद को जरूरी बतलाया। कुपोषण की रोकथाम में उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों को भी सक्रिय होने की सलाह दी। इस कार्यशाला का समापन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री के.जी. बालाकृष्णन ने 14 सितंबर, 2008 को किया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी की आड़ में रोगी को इलाज से इंकार नहीं किया जा सकता। कार्यशाला में अनेक वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी अपने सुझाव दिये।

जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि राज्य शासन को डॉक्टरों से इलाज के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाना चाहिये।

- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में अच्छे प्रावधान हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस कानून का दुरूपयोग न हो। वे विगत 28 जनवरी, 09 को भोपाल में महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे।

  कार्यशाला में महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर, सदस्य श्रीमती उपमा राय, आयोग के सदस्य श्री विजय शुक्ल भी उपस्थित थे। जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के विरुद्ध बने कानून और महिला हिंसा से सुरक्षा अधिनियम को ठीक ढंग से लागू करवाने में गैर सरकारी संगठनों, परिवार परामर्श केन्द्रों और पीड़ित पक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति या समूह इन कानूनों का दुरूपयोग न करे।

संगोष्ठियां

- हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री व्ही.एस. कोकजे ने गत दो अक्टूबर, 2008 को इंदौर में "हड़ताल, बंद और मानव अधिकार" विषय पर आयोजित संगोष्ठी का उद्‌घाटन किया। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी तथा आयोग के सदस्य श्री विजय शुक्ल मुख्य रूप से उपस्थित थे। संगोष्ठी में जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि जबरिया बंद और हिंसक हड़तालें विधिसम्मत नहीं होती हैं। जस्टिस श्री व्ही.एस. कोकजे ने कहा कि अपने लक्ष्य साधने की खातिर दूसरों को काम करने से रोकना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि बंद और हड़तालों की वीडियोग्राफी करवाकर ठोस साक्ष्य न्यायालयों को दिये जाएं ताकि हड़ताल का आमंत्रण देने वाले संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही हो सके।
- सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस श्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि आतंक की समस्या से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। प्रचार माध्यमों को भी आतंकी गतिविधियों का प्रसारण और प्रकाशन करते समय संयम, सजगता और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जस्टिस पाटिल ने ये बातें विगत दस दिसम्बर, 08 को मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित "आतंकवाद बनाम मानवतावाद" संगोष्ठी में कहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने की। इस कार्यक्रम में जनसंपर्क आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव, शिक्षाविद श्रीमती शशिराय, डीआईजी सुश्री अनुराधा शंकर, श्री संतोष तिवारी और अख्तर हुसैन ने भी विचार प्रकट किए। संगोष्ठी में आयोग के सदस्य जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' भी उपस्थित थे।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने विगत 12 दिसम्बर, 08 को "21वीं सदी की पर्यावरणीय चुनौतियां" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कहा कि कानून, आध्यात्म और प्रौद्योगिकी के मेल से पर्यावरण का संतुलन बनाये रखना संभव है। यह संगोष्ठी स्थानीय राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि वनों में रहने वाले आदिवासियों के लिए वनोपज उनकी आजीविका का माध्यम है। पर्यावरण संतुलन के नाम पर बनाये जाने वाली नीतियों में ऐसे प्रावधान न किये जाएं, जिनसे आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होती हो।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने विगत 30 जनवरी, 09 को बुरहानपुर में आयोजित सर्वधर्म समभाव संगोष्ठी में कहा कि हमारे देश में कौमी एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न धर्मावलंबियों को एक दूसरे के धर्म और दर्शन को समझने की जरूरत है। भारतीय समाज की विडम्बना है कि यहां सभी धर्मों के लोग रहते तो एक साथ हैं, लेकिन सभी ने अपने वैचारिक टापू बना लिये हैं। इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए दुर्जनों से सावधान रहकर सज्जनों को सामने आना होगा। संगोष्ठी में आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद', श्री विजय शुक्ल, खण्डवा के डीजे श्री सी.एस. तिवारी, डॉ. मो. शफी, श्री मनमोहन सिंह कीर, फादर दिनेश सिंह दास, डॉ. सुरेश जैन भारती, डॉ. मालती प्रजापति और श्री रोशन भाई हवलदार ने भी विचार व्यक्त किये।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने कहा है कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। जब तक लोगों का स्वास्थ्य अच्छा न होगा, तब तक वे अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने यह बात विगत 18 जनवरी, 09 को जबलपुर में "डॉक्टर-मरीज के संबंधों में घटते विश्वास का समाधान" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कही। इस अवसर पर पत्रकार श्री गोकुल शर्मा, डॉ. जितेन्द्र जामदार, डॉ. डी.के. लोकवानी और डॉ. गीता गुईन ने भी विचार व्यक्त किये।
- राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य प्रो. ताहिर महमूद ने कहा है कि सभी धर्मों ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की बात कही है, लेकिन हमारी समाज व्यवस्था ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा है। प्रो. महमूद ने यह बात विगत सात मार्च, 09 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में "भारतीय महिलाओं के कानून और मानव अधिकार" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस डॉ. पी.पी. नावलेकर ने की। संगोष्ठी का आयोजन म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया। संगोष्ठी में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम.

धर्माधिकारी, सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल, महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर तथा सदस्य श्रीमती उपमा राय उपस्थित थे।

निरीक्षण

- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने माह अप्रैल, 2008 में इंदौर के परदेसीपुरा स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह, मंदबुद्धि बालकों-बालिकाओं के आश्रय स्थल, विशेष बालिका गृह तथा राजकीय श्रवण बाधित उपचार केन्द्र का अवलोकन किया।
- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने विगत 14 जुलाई, 2008 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल तथा 16 जुलाई, 2008 को रायसेन की जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पतालों के इस निरीक्षण में आयोग के सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल भी उपस्थित थे। निरीक्षण में मुख्यत: आयोग के पदाधिकारियों ने जनरल ओपीडी, नेत्र रोग, अस्थि रोग, ट्रामा, आईसीयू वार्डों में भर्ती मरीजों से चर्चा की तथा इन वार्डों के रख-रखाव, साफ-सफाई आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सेवा सुविधाओं, खान-पान आदि की गुणवत्ता का जायजा लिया।

प्रशिक्षण सत्र

- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने विगत 26 अप्रैल, 2008 को भोपाल में आयोजित निजी क्षेत्र के मनोरोग विशेषज्ञों के दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। श्री धर्माधिकारी ने कहा कि बड़े शहरों में तो मनोरोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गांवों में स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि मनोरोग चिकित्सा विज्ञान को विधि का समर्थन बहुत जरूरी है। चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. व्ही.के. सैनी ने कहा कि राज्य में किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय में मनोरोग विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा नहीं है।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने कहा है कि दीवानी और फौजदारी मामले भले ही न्यायालयों में निपटाए जाते हैं, परंतु मानव अधिकार आयोग द्वारा जनसामान्य की समस्याओं का समाधान करने की सफल कोशिशें की जाती हैं। वे विगत सात फरवरी, 09 को भोपाल में आयोजित आयोग मित्रों के प्रशिक्षण सत्र में बोल रहे थे। इस दौरान सदस्यद्वय जस्टिस श्री नारायण सिंह 'आजाद' और श्री विजय शुक्ल भी उपस्थित थे। उन्होंने आयोग मित्रों से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करने, आपराधिक प्रकरणों में पीड़ितों की मदद करने जैसी समस्याओं में अपना सहयोग देने का सुझाव दिया।

व्याख्यान

- जस्टिस श्री डी.एम. धर्माधिकारी ने गत 31 अक्टूबर, 2008 को राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में तेरहवें स्टेटसन पर्यावरण विधि मूट कोर्ट प्रतियोगिता के आयोजन अवसर पर कहा कि मानवीय आवश्यकताओं तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन विश्व की साझा संपदा है इसलिये उनका संरक्षण सभी का साझा सरोकार और उत्तरदायित्व होना चाहिये।

अनुशंसाएं

- म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने माह जून, 2008 में राज्य में पेयजल आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल निगम गठित करने की अनुशंसा की। आयोग ने इस अनुशंसा में अनेक प्रकार की विधियां अपनाकर जनसामान्य को साफ पानी पिलाने के उपाय सुझाए। आयोग द्वारा यह अनुशंसा विगत 13 दिसंबर, 2007 को भोपाल में आयोजित जल का अधिकार संगोष्ठी में उपस्थित विषय विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर की।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने माह अगस्त, 2008 में इंजीनियरिंग स्नातकों के प्लेसमेंट में होने वाली धोखाधड़ी से उन्हें बचाने के लिए अनेक उपाय, अनुशंसाओं के रूप में जनशक्ति नियोजन विभाग को किये हैं। इस विभाग द्वारा आयोग के इन सुझावों को मान्य करते हुए सभी इंजीनियरिंग कालेजों को प्लेसमेंट की नियमावली बनाकर कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं।
- म.प्र. मानव अधिकार आयोग ने राज्य शासन से बाल कल्याण समितियों के पुनर्गठन तथा संप्रेक्षण गृहों में परिवीक्षा अधिकारियों, पूर्णकालिक अधीक्षक, भृत्य और चौकीदारों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की अनुशंसा की है। आयोग का मानना है कि संप्रेक्षण गृहों में कार्यरत कर्मचारियों का बच्चों के साथ बेहद असंतुलित और संवेदनहीन व्यवहार रहता है, इस कारण अनेक उपेक्षित बच्चे संप्रेक्षण गृहों में रहना ही नहीं चाहते। सरकार को संप्रेक्षण गृहों के सुव्यवस्थित संचालन में समाज की सेवा भावी संस्थाओं और एनजीओस की मदद भी लेनी चाहिये।

म. प्र. मानव अधिकार आयोग

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2008-09 की मान्य अनुशंसाएं

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
1.	रतन ग्राम कोटीमाता राजपुर जिला बड़वानी	पुलिस द्वारा तीन दिनों तक शारीरिक प्रताड़ना देने बाबत्	9.4.2008	**प्रकरण क्रमांक 4847/बड़वानी/2007-08** दोषी पाये गये तत्कालीन निरीक्षक श्री के.के. दावरे जिन्हें रुपये एक हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है और सहायक उपनिरीक्षक श्री यू.एस. अलावा जिन्हें रुपये पांच सौ के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है उनसे प्राप्त अर्थदण्ड की कुल राशि रुपये 1500.00 आवेदक को अकारण पुलिस द्वारा निरुद्ध कर मारपीट कर उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के क्षतिपूर्ति में अंतरिम मुआवजा राशि के रूप में प्रदान की जावे। उपरोक्त कुल रु. 1500.00 की राशि दोषी पुलिस कर्मियों से वसूल कर आवेदक को एक माह में प्रदान कर उस संबंध में आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने शासन को लिखा जावे।
2.	एस.पी.एस. चौहान (सहा. प्राध्यापक गणित) 16, अमीरगंज गली नं-2, गोलघर, परीबाजार, शाहजहांबाद, भोपाल	आवेदक को माह सितम्बर 2006 से जीवन निर्वाह भत्ता तथा 14-4-07 से पदभार ग्रहण तिथि से वेतन शास. बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल से प्रदाय करने बाबत्	10.4.2008	**प्रकरण क्रमांक 6297/भोपाल/2007-08** (1) आवेदक लगातार 14 वर्ष से निलंबित है यद्यपि निलंबन अवधि में एक दाण्डिक प्रकरण भोपाल के विशेष न्यायालय में चल रहा है, किन्तु निलंबन अवधि में उनकी पदस्थापना झाबुआ में की गई। जिस कारण उनको विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण की पैरवी में दिक्कतें हो सकती हैं तथा झाबुआ में उसे विशेष खर्च भी अपने जीवन यापन के लिये करना पड़ता है। यह बताया गया कि उनकी पदस्थापना झाबुआ में निलंबन अवधि में की गई है, परन्तु उसे उपस्थिति अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर के यहां देना होती है। (2) आवेदक को इतने लंबे समय तक निलंबन अवधि में रखने के लिये विभागीय जाँच जिन अधिकारीगण ने की है उन अधिकारीगण ने विभागीय जाँच इतने लंबे समय तक संपन्न किये जाने में क्या लापरवाही या त्रुटि की है, शासन इस संबंध में रिकार्ड का अध्ययन कराकर दोषी अधिकारीगण के विरुद्ध जाँच संस्थापित करे, एवं इस संबंध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही कराए। (3) आवेदक 14 वर्ष से अधिक समय तक निलंबित रहा तथा दाण्डिक प्रकरण भोपाल में उनके विरुद्ध चल रहा है, जहाँ उनके द्वारा पैरवी की जाना है, अतएव शासन निलंबन अवधि में उनकी पदस्थापना झाबुआ में एवं उपस्थिति दर्ज कराने का स्थान इन्दौर के एवज में उसकी पदस्थापना संचालनालय उच्च शिक्षा भोपाल में करे एवं उपस्थिति का स्थान भी भोपाल हो। (4) आवेदक का जो भी निलंबन भत्ता देना बकाया है, उसे नियमानुसार गणना कर प्रदाय किया जावे। चारों अनुशंसाओं के संबंध में गई कार्यवाही से शासन आयोग को 15 दिवस में अवगत करावे।
3.	बंदी चतुर्भज के परिजन	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल भोपाल	29.4.2008	**प्रकरण क्रमांक 10852/भोपाल/2005-06** (1) इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव जेल विभाग को प्राप्त होने के दो माह में रुपये पचास हजार की राशि मृतक बंदी चतुर्भज के उत्तराधिकारियों को अंतरिम राहत के रूप में भुगतान की जावे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. सुनिश्चित करें कि बंदियों के जेल में प्रविष्ट से अधिक से अधिक सात दिन में बंदी

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				की जाँच गंभीर प्रकार के रोगों जिसमें कैंसर, टी.बी., एच.आई.वी., मलेरिया, टिटनेस टायफाइड आदि के संबंध में करा ली जावे जिससे कि उनके गंभीर स्थिति में पहुंचने के पूर्व ही, बंदियों को उचित एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध करया जाकर उन्हें असामयिक मृत्यु से बचाया जा सके।
4.	अधीक्षक केन्द्रीय जेल, भोपाल	बंदी ओमप्रकाश पिता भोलेराम की दिनांक 6-10-06 को हुई मृत्यु बाबत्।	2.5.08	**प्रकरण क्रमांक 8233/भोपाल/2006-07** (1) इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव जेल विभाग को प्राप्त होने के दो माह में पचास हजार रुपये की राशि दंडित बंदी ओमप्रकाश के उत्तरधिकारियों को, अंतरिम राहत के रूप में भुगतान की जावे। (2) प्रमुख सचिव जेल एवं महानिदेशक जेल म.प्र. सुनिश्चित करें कि बंदियों के प्रवेश दिनांक से अधिक से अधिक एक सप्ताह में व उसके पश्चात् प्रत्येक 6 माह में गंभीर प्रकार के रोगों जिसमें कैंसर, टी.बी., एच.आई.वी., मलेरिया, टिटनेस, टायफाइड आदि के संबंध में जाँच करा ली जावे, जिससे कि उनके गंभीर स्थिति में पहुंचने के पूर्व ही बंदियों के रोगों का परीक्षण कर उन्हें उचित एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाकर उन्हें असामयिक मृत्यु से बचाया जा सके।
5.	श्री विजय सिंह साठिया शिक्षक तत्कालीन संस्था शा.उ.मा.वि. जैतपुर विकासखण्ड बुढ़ार जिला-शहडोल	शिक्षक को साढे आठ वर्ष बाद भी वेतन न मिलने बाबत्	7.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 3959/शहडोल/2006-07** विभागीय स्तर पर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही, लूटी गई राशि की वसूली के लिए श्री राम सजीवन कोल के विरुद्ध कलेक्टर, शहडोल द्वारा की गई है उस संबंध में आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. विभागीय स्तर पर पुनर्विचार करें और आवश्यक हो तो शासन का अभिमत प्राप्त कर उस विषय पर पुन: निर्णय लें। शासन कलेक्टर द्वारा की गई वसूली की कार्यवाही को रद्द कर निरपराध एवं अल्प वेतन प्राप्त सहा. ग्रेड III श्री राम सजीवन कोल को उससे वसूल की गई राशि वापिस दिलवाने पर विचार करे। यह प्रकरण सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. को भेजकर उन्हें तत्संबंधी की गई कार्यवाही से एक माह में आयोग को सूचित करने हेतु लिखा जावे।
6.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल	बंदी सलीम पुत्र जग्गू उर्फ जहाँगीर खाँ की उपचार के दौरान दिनांक 9.05.07 को शासकीय हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में मृत्यु की समीक्षा विषयक	19.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 1714/विदिशा/ 2007-08** (1) मृतम सलीम के उत्तराधिकारियों को उपचार के दौरान दि. 9.5.2007 को में मृत्यु की समीक्षा विषय में रु. 50,000.00/- की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभग उपलब्ध करावे। (2) पुन: आयोग, जेल महानिदेशक म.प्र. से यह आग्रह करता है कि वह सुनिश्चित करें कि जेल प्रवेश के समय या उसके पश्चात व उसके पश्चात् प्रत्येक 6 माह में प्रत्येक बंदी का परीक्षण घातक रोगों जैसे टी.बी, कैंसर, एच.आई.वी., टायफाफाईड आदि के लिये कराया जावे जिससे कि उन्हें अकाल मृत्यु सेबचाया जा सके।
7.	श्री राकेश गुप्ता डॉ. सरनाम सिंह की गली बस स्टेण्ड जौरा वार्ड क्र.2 जौरा जिला-मुरैना	डॉ. श्रीमती अभिलाषा गर्ग द्वारा गर्भवती महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने के विषय में	7.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 9702/मुरैना/2007-08** आयोग के कार्यवाही की प्रतिलिपि संबंधित अनावेदकों को विभाग के माध्यम से अनावेदकों को चेतावनी दी जावे कि वे प्रसव के लिये चिकित्सालय में आई महिलाओं और मरीजों के प्रति अधिक संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ रहें, ताकि शासन द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना एवं मातृत्व सुरक्षा योजना का प्रभावी रूप से सफल कार्यान्वयन हो सके। उक्त निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।

राज्य शासन के अनुमोदन हेतु लम्बित अनुशंसाएँ

अनुशंसा वर्ष 2008-09

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
1.	केन्द्रीय जेल पन्ना	बंदी सुकरू पिता अधरे की दिनांक 19.10.06 को हुई मृत्यु बाबत्	3.4.2008	**प्रकरण क्रमांक 9180/पन्ना/ 2006-07 केन्द्रीय जेल पन्ना** (1) इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, जेल विभाग म.प्र. शासन को प्राप्त होने से दो माह के अंदर 50.000/- रु. (पचास हजार रुपये) की राशि अंतरिम राहत के रूप में मृतक सुकरू के उत्तराधिकारियों को प्रदान की जावे। (2) प्रमुख सचिव जेल एवं महानिदेशक जेल सुनिश्चित करें कि गंभीर बीमारियों के संबंध में जैस टी.बी. कैंसर, एच.आई.बी. पीलिया, टायफाईड, निमोनिया आदि बीमारी के जेल प्रवेश के शीघ्र बाद जाँच कराई जावे व ऐसी जाँच हर 6 महीने बाद करायी जाये। जिससे कि किसी बंदी की उपचार के अभाव में असामयिक मृत्यु न हो।
2.	मुन्नालाल ग्राम महुआखेड़ा तह.- तेंदुखेड़ा जिला- नरसिंहपुर	भगाकर लूटपाट कर ले जाई ई बकरियों के संबंध में र्यवाही बाबत्	9.4.08	**प्रकरण क्रमांक 11888/नरसिंहपुर/2006-07 (पुलिस)** (1) पुलिस कर्मचारी श्री राजेन्द्र शर्मा निरीक्षक एवं श्री एस.एस. राजपूत सहायक उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जावे एवं जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जावे। उपरोक्त अनुशंसा का अनुपालन तीन (3) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।
3.	अनूप कुमार डे आ. स्व. श्री करूणारंजन डे 816, बागसेवनिया, पो.आ. बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल	पासपोर्ट आवेदन हेतु पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट कायम करने से प्रार्थी को पासपोर्ट नहीं मिलने तथा मानसिक रूप से परेशान करने बाबत्	1.4.2008	**प्रकरण क्रमांक 203/भोपाल/07-08 (पुलिस)** (1) राज्य शासन द्वारों आवेदक को 5,000/- (पाँच हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जावे। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक श्री रामसिया, प्रधान आरक्षक क्रमांक - 276 से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। (2) उपरोक्त पुलिस कर्मचारी श्री रामसिया के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाए एवं विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जावे। अनुशंसाओं का पालन तीन (3) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाए।
4.	देवा बाई	आवेदिका के पति कांतिलाल की जेल कस्टडी में हुई असामयिक मृत्यु के एवज में क्षतिपूर्ति दिलवाए जाने बाबत्	28.4.08	**प्रकरण क्रमांक 3398/बैतूल/2007-08 (जेल)** (1) इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव जेल विभाग म.प्र. शासन का प्राप्त होने से दो माह में अंतरिम राहत के रूप में मृतक बंदी की 25 साल की उम्र को देखते हुए, बंदी की विधवा पत्नि देवा बाई को और यदि वह भी जीवित न हो तब जो भी कांतिलाल के उत्तराधिकारी हो उन्हें भुगतान की जावे।

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				(2) यह भी अनुशंसा की जाती है कि प्रमुख सचिव जेल विभाग एवं महानिदेशक जेल यह सुनिश्चित करें कि जेल प्रवेश से सात दिन के अंदर ही बंदी की जॉच टी.बी., कैंसर, एच.आई.वी., टायफाईड, मलेरिया, किडनी, लीवर, पीलिया आदि घातक रोगों के संबंध में करा ली जावे जिससे कि उन्हें शीघ्रतिशीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जाकर अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।
5.	श्री जीवनलाल, शर्मा कॉलोनी शाहजहानाबाद जिला भोपाल (म.प्र.)	पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक मासूमों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर दलित वर्ग के जयप्रकाश भंगियाने की हत्या व अन्य 9 व्यक्तियों को गंभीर रूप से आहत करने बाबत्।	5.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 6426/भोपाल/2005-06** (1) आवेदक जो गरीब परिवार का मुखिया है उसे अपने युवा पुत्र के विछोह के कारण जो आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई उसकी आंशिकपूर्ति में अंतरिम राहत के रूप में शासन आवेदक को रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त राशि एक माह के अन्दर प्रदान कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। (2) घटना से संबंधित उप निरीक्षक श्री राजीव जंगले, श्री बी.जे. सालुंके तथा गनमेन अभिलाख सिंह के विरुद्ध शासन, विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करें एवं उनके दोष सिद्धि के अनुपात में उन्हें समुचित दंड प्रदान करे। यदि विभागीय जाँच में उनके आचरण में कोई अपराध प्रकट होता है तो उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन की कर्यावाही भी करे।
6.	श्री बालाराम राजपूत ग्राम सरवाय, बरेठ हा.मु. साकेत नगर, पिपलेश्वर मंदिर वाली गली कालाबाग, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)	डॉ. जी.एस. अर्गल द्वारा इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाने के संबंध में	1.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 13731/विदिशा/2006-07 (स्वास्थ्य)** (1) 20 वर्षीय युवा प्राणसिंह की ऑपरेशन थियेटर में अस्पष्ट कारणों से हुई मृत्यु तथा उसका पोस्ट मार्टम न कराये जाने के लिये दोषी चिकित्सक डॉ. जी.एस. अर्गल एवं डॉ. बी.एल. नागेश के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित कर शासन उन्हें दोषी पाये जाने पर, समुचित दण्ड दे। (2) युवा प्राणसिंह की मृत्यु शासकीय चिकित्सालय में जिन परिस्थितियों में हुई उसमें चिकित्सक-गण की स्पष्टतः लापरवाही प्रकट होती है तथा अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने के लिये मृतक के परिवारजनों को हुई मानसिक वेदना तथा आर्थिक क्षति के लिये अंतरिम राहत के रूप में शासन रुपये 1.0 लाख (एक लाख) की राशि मृतक के निकटतम परिवारजनों को एक माह में प्रदान कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। (3) आयोग ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि अंतरिम राहत की दी गई राशि यदि उपरोक्त दो चिकित्सक-गण दोषी पाये जाते हैं तो उनसे उन्हें लागू सेवा संबंधी नियमों के आधार पर वसूल करने हेतु शासन स्वतंत्र है।
7.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इन्दौर (म.प्र.)	बंदी बगइ सिंह पिता नारायण सिंह की दिनांक 6.2.07 को हुई मृत्यु बाबत्	2.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 13319/इन्दौर/2006-07** (1) इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव जेल विभाग म.प्र. शासन को प्राप्त होने के दो माह में एक लाख रुपये की राशि अंतरिम राहत के रूप में बगइ सिंह के उत्तरधिकारियों को भुगतान की जावे। (2) जेल महानिदेशक समस्त जिलों को यह निर्देश भी दें कि जहाँ भी टिटनेस या अन्य किसी प्रकार के घातक

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				रोगों की जानकारी या लक्षण किसी भी बंदी में दिखाई देने पर उसे तत्काल उचित उपचार करने वाले अस्पताल में भेजकर, उपयुक्त उपचार उपलब्ध करया जावे।
8.	भैयाराम यादव भगवान महावीर बाल संस्कार स्कूल के सामने, टीकमगढ़न	गंभीर रूप से घायल पुत्र के उपचारार्थ एम्बुलेन्स एवं अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हीं कराने बाबत्	6.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 9442/2006-07 जिला टीकमगढ़** शास. अस्पतालों में गंभीर रूप से घायल मरीजों को दूरस्थ किसी बड़े अस्पताल में इलाज हेतु रेफर करना आवश्यक पाया जावे तो यह हर संभव प्रयत्न किया जाये कि शासकीय एम्बुलेन्स जिसमें ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा स्टाफ का एक व्यक्ति (गंभीर परिस्थिति में मरीज को संभालने के लिये) भेजने का उपलब्ध संसाधनों के रहते, अवश्यक उपयोग करें। शासन समस्त जिला चिकित्सालयों को गंभीर स्थिति में पाये गये मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने के बाद उन्हें वहां पहुंचाने के लिये क्या आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिये, इस विषय पर नीति निर्धारण कर, इस हेतु उपलब्ध संसाधनों के उपयोग बाबत् समुचित निर्देश जारी करे, ताकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाते समय मार्ग में ही मृत्यु की घटनाएं टाली जा सके। उपरोक्त अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है।
9.	श्री जगदीश निवासी धौरारा थाना सरवई जिला-छतरपुर	थाना प्रथारी सरबई श्री बागरी एवं प्रधान आरक्षक चतुर्वेदी एवं अन्य दो आरक्षकों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट किये जाने एवं फर्जी मुकदमा पंजीबद्ध कर 5,000 रुपये लेने एवं 5,000 की और मांग किये जाने बाबत्	8.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 15510/2005-06 जिला छतरपुर** (1) राज्य शासन, आवेदक श्री जगदीश तनय श्री छोटालाल, को 5,000/- रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान करे। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक उप निरीक्षक श्री आर.एस. बागरी तथा प्रधान आरक्षक नंबर - 413 श्री विष्णुदत्त चतुर्वेदी से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। अनुशंसा का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग का सूचित किया जाये।
10.	श्री के.सी. मित्तल अध्यक्ष, आर्य को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, गोविन्दपुरा, भोपाल	गौतम नगर (चेतक ब्रिज के पास) में शाला/कम्यूनिटी सेंटर की झुग्गियों से अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन	15.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 5654/2006-07 जिला भोपाल** (1) म.प्र. शासन का आवास एवं पर्यावरण विभाग म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, नगर निगम भोपाल तथा शासन के स्थानीय अधिकारीगण जिलाध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, परस्पर सहयोग से शासन की आवास एवं पर्यावास नीति 2007 में उपरोक्त उल्लेखित कंडिका 1,5,9.5, 9.10 एवं 9.1 के प्रावधानों में दिये उद्देश्यों के अनुरूप एवं उसके अनुपालन में गौतम नगर पानी की टंकी के पास वाले किनारे, अतिक्रमण की स्थिति में झुग्गियों में निवासरत् लगभग 140 परिवारो के आर्थिक सामर्थ्य एवं सामजिक दशा का सर्वेक्षण कर ऐसी झुग्गियों में निवासरत् परिवार जिनकी आर्थिक

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				स्थिति के अनुसार रियायती दर पर आसान किश्तों में कम मूल्य पर भूमि प्राप्त कर व्यवस्थापन करें। उन्हें उपरोक्त उल्लेखित नोटिस के माध्यम से पुन: एक निश्चित तिथि तक अन्यत्र स्वयं की अर्जित भूमि निवास हेतु प्राप्त करने का विकल्प देवें एवं जो झुग्गीवासी प्रस्तावित विकल्प स्वीकार करते हैं उन्हें मूलभूत नागरिक सुविधाओं से युक्त वैकल्पिक आश्रय स्थान उपलब्ध कराकर उनका विस्थापन एवं व्यवस्यापन करें। (2) औपचारिक रूप से दिये गये नोटिस के माध्यम से सुझाव अथवा विकल्प यदि कोई झुग्गीवासी स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें आवास एवं पर्यावास नीति 2007 की कंडिका 9.10 एवं 9.11 के अनुसार विस्थापित कर अन्यत्र भूमि पर ट्रॉजिट आश्रय की व्यवस्था करें। (3) अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सिद्धांतों के मानकों एवं आवास नीति के अनुरूप आयोग यह भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि किसी भी दशा में झुग्गीवासियों का जबरन विस्थापन तब तक न किया जाए जब तक कि उन्हें विकल्प के अनुसार रियायती मूल्य एवं आसान किश्तों के आधार पर अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराई गई हो एवं ऐसे झुग्गीवासी भूमि क्रय करने की परिस्थिति में नहीं है उनके लिये ट्रॉजिट आश्रय की व्यवस्था की गई हो। (4) आश्रयकी वैकल्पिक या ट्रांजिट व्यवस्था उपलबध कराने के पश्चात् ही झुग्गीवासियों का विस्थापन किया जावे और विस्थापन कार्य वर्षा ऋतु में न किया जावे। यदि जबरन विस्थापन आवश्यक हो, तो झुग्गीवासियों को इतना समय दिया जावे कि वे अपनी निर्माण सामग्री घर के सामान, खान-पान की और अपनी बहुमूल्य वस्तुएं तथा अन्य सारा सामान बगैर किसी क्षति या नुकसान के ले जा सकें। उस हेतु उन्हें आवश्यक परिवार की व्यवस्था दी जावे। जहां तक संभव हो, झुग्गीवासी की सहमति और सहयोग से ही उनका विस्थापन किया जावे और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती टाली जावे।
11.	श्रीमती ग्यारसी बाई आज्ञाराम कॉलोनी, जिला विदिशा	गंजबासौदा पुलिस के आरक्षक अजीत पांडे द्वारा प्रार्थिया से कुशीनगर डाउन गाड़ी में दिनांक 28.6.06 को मारपीट करने व अभद्र गालियां देने के संबंध में	16.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 4162/2006-07 जिला-विदिशा** (1) राज्य शासन द्वारा आवेदिका ग्यारसी बाई, को 10,000/- रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जाए। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक श्री राकेश शर्मा, निरीक्षक एवं आरक्षक श्री अजीत पाण्डेय से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। (2) उपरोक्त पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाए तथा विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत करायें। उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाए।

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
12.	श्री अतुल मिश्रा दत्त मंदिर चिंचाला लालबाग, बुरहानपुर	अनावेदकगण ने आवेदक को जी.आर.पी. चौकी में बंद कर लातमुक्कों से होज पाईप लकड़ियों से बहुत मारा व गालियां दी, जान से मारने की धौंस दी। मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज करने बाबत्	21.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 14651/2006-07 जिला बुरहानपुर** (1) राज्य शासन, आवेदक श्री अतुल मिश्रा को 10,000 (दस हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान करे। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक प्रधान आरक्षक श्री नरोत्तम सिंह क्र. 735 आर. श्री कैलाश मालवीय क्र. 218 आरक्षक श्री सुभाषचंद्र पाण्डेय क्र. 687 से आवश्यक प्रक्रिया अपना कर वसूल कर सकता है। उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाए।
13.	जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल	बंदी मोहन पिता गोमा पंवार की दिनांक 27.6.07 की हुई मृत्यु बाबत्	19.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 4348/2007-08 जिला भोपाल (जेल)** (1) बंदी मोहन पुत्र गोमा के उत्तराधिकारियों को दो लाख रुपये की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक सुनिश्चित करें कि राज्य की समस्त जेलों के प्रबंधन को यह निर्देश जारी हो कि यदि क्षय के रोगी पर दी जाने वाली दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है तो कल्चर टेस्ट कराकर उपयुक्त अर्थात् प्रभावकारी दवाई की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जावे, भले ही इसके लिये बंदी को दिल्ली ले जाकर कल्चर टेस्ट करवाया जावे।
14.	डॉ. अरुण तिवारी सी-102 भेल संगम कॉलोनी बाग-सेवनिया भोपाल	थाना हबीबगंज शहर भोपाल के सिपाहियों द्वारा अभद्रता व गाली गलौच किये जाने से उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत्	23.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 14429/2006-07 जिला भोपाल (पुलिस)** (1) राज्य शासन द्वारा आवदेक को 5000 रु की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जावे। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक आरक्षक क्र 558 रघुनंदन सिंह एवं आरक्षक क्र. 439 राज बहोर एवं श्री कमलकांत सिंह, एच.सी.एम. आरक्षी केन्द्र हबीबगंज से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। (2) उपरोक्त श्री कमलकांत सिंह एच.सी.एम. आरक्षक क्र. 558 रघुनंदन सिंह एवं आरक्षक क्र. 439 राज बहोर के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाये एवं विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जावे। अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।
15.	बुद्धिसेन सिंह व अन्य निवासी सा. पिपरी	राम सुजान विश्वकर्मा प्रधान आरक्षक के विरुद्ध कार्यवाही बाबत्	23.5.2008	**प्रकरण क्रमांक 12193/2005-06 जिला सीधी (पुलिस)** राज्य शासन द्वारा आवेदक श्री बुद्धिसेन सिंह को 5,000/- (पाँच हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जावे। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक श्री राम सुजान विश्वकर्मा,

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
	पो.आ.बरझा थाना सरई, जिला-सीधी			प्रधान आरक्षक से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। उपरोक्त अनुशंसा का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग की सूचित किया जाए।
16.	देवीसिंह (दिब्बी) ग्राम केरबना, पो. केरबना तह. बटियागढ़ी जिला दमोह	थाना बटियागढ़ जिला दमोह में पंजीबद्ध अपराध क्र. 209/07 की नष्पक्षतापूर्ण जाँच हेतु	3.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 8558/2007-08 जिला दमोह (पुलिस)** (1) राज्य शासन द्वारा आवेदक श्री देवी सिंह (दिब्बी) ग्राम केरवना, तह. बटियागढ़ जिला दमोह एवं निरपराध व्यक्ति सत्तर उर्फ छात्रसाल, कन्छेदी पुत्र हल्के सिंह, जहीर मुसलमान, थान सिंह, नारायण सिंह प्रत्येक को 25,000 -25,000 रु. की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जावे राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक श्री बी.एस. पाण्डेय, नगर निरीक्षक, तत्कालीन थाना प्रभारी बटियागढ़, जिला दमोह से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। (2) उपरोक्त पुलिस कर्मचारी श्री बी.एस. पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाए एवं विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जावे तथा साथ ही साथ एस.डी.ओ.पी. श्री जे.पी. जुत्शी, जिनके द्वारा धारा 302 भादवि के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती गई, उनके विरुद्ध इस लापरवाही के संबंध में जाँच कर, उचित विभागीय कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।
17.	जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल से प्राप्त	बंदी विनोद कुमार पुत्र सुदामा प्रसाद की दिनांक 25.12.2006 को हुई मृत्यु बाबत्	4.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 12400/2006-07 जिला दमोह (जेल)** (1) मृतक विनोद पुत्र सुदामा के उत्तराधिकारियों को रु. एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में मध्यप्रदेश शासन का जेल विभाग प्रदान करे। (2) जेल मानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति के जेल प्रवेश दिनांक को ही अथवा उसके तत्काल पश्चात् विशेषज्ञ परीक्षण टी.बी., कैंसर, एच आई.वी. जैसे गंभीर बीमारियों के संबंध में कराकर उचित उपचार की व्यवस्था हो। जिससे कि बंदियों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।
18.	डॉ. दिनेशदत्त चतुर्वेदी, 9, श्री छाया डूप्लेक्स तुलसी नगर,	मानवाधिकारों का हनन एवं पुलिस प्रताड़ना बाबत्	5.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 13111/2007-08 जिला जबलपुर (पुलिस)** राज्य शासन द्वारा, आवेदक डॉ. दिनेशदत्त चतुर्वेदी, निदेशक, सेन्ट्रल इण्डिया लॉ इन्स्टीटयूट, जबलपुर एवं समीक्षक दैनिक 'नवभारत' जबलपुर को 10,000/- (दस हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जाए। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश भाग अनावेदक श्री अजीत सिंह बघेल,

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
	चेरीताल, जबलपुर			थाना प्रभारी जी.आर.पी. कटनी से आवश्यक प्रक्रिया आपनाकर वसूल कर सकता है। उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।
19.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इन्दौर (म.प्र.)	बंदी भंगड़ा पुत्र हारलिया की दिनांक 26.9.2006 को हुई मृत्यु बाबत्	6.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 7981/2006-07 जिला इन्दौर (जेल)** (1) प्रमुख सचिव, जेल विभाग दो माह में मृतक भंगड़ा पुत्र हारलिया के उत्ताधिकारियों को रु. एक लाख (1,00,000) की राशि अंतरिम राहत के रूप में उपलब्ध करावे। (2) जेल महानिदेशक, म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जेल प्रवेश के शीघ्र पश्चात् बंदी की सघन जाँच, गंभीर बीमारियों, के लिये जिनमें टी.बी., कैंसर, एच.आई.वी., टाइफाईड, मलेरिया आदि की करायी जावे, जिससे कि बांदियों को अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।
20.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जबलपुर	बंदी मार्तण्ड पिता छेदीलाल की दिनांक 19.3.2006 को हुई मृत्यु बाबत्	12.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 15331/2005-06 जिला जबलपुर (जेल)** (1) दो माह के अन्दर जेल विभाग मृतक मार्तण्ड उर्फ विजय कुमार पुत्र छेदीलाल व्यास के उत्तराधिकारियों को रु. पचास हजार की राशि अंतरिम राहत के रूप में उपलब्ध करावे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जेल में प्रविष्ट बंदियों का परीक्षण टी.बी., कैंसर, एच.आई.वी., मलेरिया, टाइफाईड, जैसे गंभीर रोगों के संबंध में कराया जावे, जिसकी पुनर्रावृत्ति एक निश्चित अवधि के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे और आवश्यक हो तब अन्यत्र भेजकर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जावे जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
21.	केशर बाई बेवा माधुरी बढ़ई ग्राम कछौरा, थाना तहसील पलेरा जिला – टीकमगढ़	आवेदिका के पति की जेल में मृत्यु हो जाने बाबत्	12.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 10530/2004-05 जिला टीकमगढ़ (जेल)** (1) जेल विभाग दो माह में मृतक माधुरी पुत्र नंदराम बढ़ाई के उत्तराधिकारियों को रु.एक लाख की राशि, अंतरिम राहत के रूप में उपलब्ध कराये। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जहाँ भी बंदियों में आपस में विवाद या झगड़ा हो उन बंदियों को पृथक वार्डस में, जो कि दूरी पर स्थित हो, वहाँ रखा जावे न कि एक ही वार्ड में।
22.	श्री प्रेमलाल बसोर ग्राम भाठी सरई गुल्लूटोला	चौकी प्रथारी आर.पी. सिंह द्वारा तलाशी के नाम पर घर में घुसकर 1,25,000 रु. व	13.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 903/2006-07 जिला अनूपपुर (पुलिस)** (1) राज्य शासन द्वारा आवेदक श्री प्रेमलाल बसोर को 30,000/- (तीस हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जाए। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
	तह. कोतमा जिला – अनूपपुर	अन्य सामान लूटकर ले जाने व मारपीट करने जातिगत गाली देने व प्रार्थी को पुलिस चौकी में बंधक बनाये जाने बाबत्		उप निरीक्षक श्री आर.पी. सिंह से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूला कर सकता है। (2) उपरोक्त पुलिस कर्मचारी उप निरीक्षक श्री आर.पी. सिंह के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाए एवं विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जाये। अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग का सूचित किया जावे।
23.		थाना प्रभारी शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत्	18.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 13227/2006-07 जिला छतरपुर (पुलिस)** (अ) राज्य शासन द्वारा, आवेदक श्री जुगल किशोर को 10,000/- (दस हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जाये। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक श्री एम.एम. शर्मा निरीक्षक से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है। (ब) उपरोक्त पुलिसकर्मी श्री एम.एम. शर्मा, निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाए एवं विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जावे। उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।
24.	श्री घूमनलाल ग्राम गोकुलपुर पो. धूमा, जिला-सिवनी	घूमनलाल की पत्नी वसंती बाई की प्रसव के दौरान सामुदयिक स्वा. केन्द्र लखनादौन में मृत्यु बाबत्	20.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 10316/2007-08 जिला सिवनी (स्वा.)** (1) आवेदक की गर्भवती पत्नी की एवं उसके नव जन्में शिशु की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूमा में प्रसव हेतु चिकित्सा के अभाव जिला सिवनी (म.प्र.) में हुई मृत्यु से उनके स्वास्त्य सुविधा के मानव अधिकार का हनन है। शासन आवेदक को उसकी पत्नी की मृत्यु के लिये रुपये 50,000/- एवं नवजात शिशु के मृत्यु के लिये रुपये 25,000/- कुल रु. 75,000/- अंतरिम राहत के रूप में दो माह में प्रदान कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। (2) आयोग के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूमा में पदस्थ डॉक्टर के अवकाश अवधि में उनकी अनुपस्थिति में जिन डॉ. अशोक सहलाम को ड्यूटी देने के लिये आदेशित किया गया था वे धूमा में चिकित्सा सुविधाएँ देने गये ही नहीं। शासन विभागीय स्तर पर इसकी जाँच करे एवं उन्हे सुनवाई का अवसर देने के बाद यदि वे दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। (3) प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धूमा में पदस्थ दो महिला कर्मचारीगण श्रीमती आर.जनबधु, ए.एन.एम एवं श्रीमती टी. बाघमारे एवं एच.वी. दोनों ही अस्पताल में अनुपस्थित थी। वे शासकीय बैठक के लिए लखनादौन गई थी। (4) शासन समुचित निर्देश सभी संबंधित अस्पतालों को जारी करे कि किसी भी अवस्था में बैठक के लिये कर्मचारियों को अस्पतालों से किसी दूरस्य स्थान पर न बुलाया जाये। जनता को अस्पताल से प्राप्त

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				स्वास्थ्य सुविधा में विध्न उत्पन्न हो ऐसी कोई भी बैठक की जगह निश्चित न की जावे। (5) यदि किसी अनिवार्य या अत्यावश्यक कारणवश कुछ कर्मचारियों को बैठक के लिये बुलाया जाना अनिवार्य हो, तब भी यह सुनिश्चित किया जाये कि आपातकालीन अत्यावश्यक चिकित्सा सुविधाओं के लिये कम से कम एक डॉक्टर के साथ केन्द्र में ड्यूटी देने के लिये उपस्थित रहें। (6) अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इस तरह की पुनर्रावृत्ति न हो इस हेतु चिकित्सालयों की वर्तमान व्यवस्थाओं का शासन पुन: आकलन कर उनकों सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।
25.	श्री राजू बैरागी निवासी – पैंची जिला – गुना (म.प्र.)	जननी सुरक्षा योजना अन्तर्गत महिला की मृत्यु के संबंध में	1.6.2008	**प्रकरण क्रमांक 10279/2007-08 जिला गुना (स्वा.)** (1) आवेदक की पत्नी श्रीमती संतोष बैरागी का प्रसव के पश्चात् अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में आवश्यकतानुसार उपचार एवं जिला अस्पताल गुना ले जाने के लिये परिवहन व्यवस्था न देने के कारण सामुदायिक स्वा. केन्द्र बीनागंज के महिला चिकित्सक डॉ. एस.के. बेक एवं श्रीमती कमलेश चौहान, ए.एन.एम. आवेदक के पत्नी के जीवन के अधिकार के हनन के दोषी हैं। शासकीय चिकित्सालयों में व्याप्त अव्यवस्थाएँ भी उसकी मृत्यु का कारण बनी। अतएव शासन द्वारा प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत जो राशि प्रसव के लिए आवेदिका को उपलब्ध होती उसे मिलाकर अंतरिम राहत राशि कुल रुपये 1.00 लाख शासन, आवेदक को क्षतिपूर्ति के समय प्रदान करे। प्रदान की गई राशि शासन दोषी पायी गयी लेडी चिकित्सक डॉ.एस.जे. बेक एवं श्रीमती कमलेश चौहान, ए.एन.एम. के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थित कर यदि उनका उसमें भी दोष प्रमाणित होता है, तो उनसे पूर्णत: या अंशत: वसूल करने के लिये स्वतंत्र है।
26.	जेल अधीक्षक, नवीन जिला जेल होशंगाबाद	बंदी कमल दरोई पिता दरोई की दिनांक 3.6.2007 को हुई मृत्यु बाबत्	8.7.2008	**प्रकरण क्रमांक 6604/2007-08 जिला होशंगाबाद (जेल)** (1) जिला जेल होशंगाबाद एवं चिकित्सा विभाग के प्रशासन द्वारा बंदी कमल पुत्र चन्दन दरोई की बवासीरसे रक्तस्त्राव और रक्त की पूर्ति न किये जाने से हुई उसकी मृत्यु से उसके जीवन के अधिकार का घोर हनन किया है जिसके लिए शासन परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। अतएव अंतरिम राहत के रूप में रुपये 1.00 लख की राशि मृतक बंदी के निकटस्थ परिवारजनों को दो माह में प्रदान कर शासन पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करे। (2) प्रस्तुत प्रकरण में उपचार में घोर लापरवाही से घटित बंदी की मृत्यु में संबंधित जेल एवं चिकित्सा प्रशासन से जुड़े अधिकारी व चिकित्सकगण दोषी हैं। शासन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, होशंगाबाद के जाँच प्रतिवेदन एवं आयोग की इस अनुशंसा के आधार पर विभागीय जाँच संस्थित करे

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				व दोषी पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों को समुचित दण्ड दे। ताकि ऐसा असंवेदनशील आचरण वे और उनके समकक्ष एवं अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारीगण भविष्य में न करें। (3) प्रस्तुत प्रकरण में उजागर तथ्यों से यह भी प्रकट होता है कि जिला चिकित्सालय होशंगाबाद के ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध न होने की अवस्था में कोई वैकल्पिक व्यवस्था रक्तदाताओं अथवा अन्य शासकीय संस्था या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से रक्त उपलब्ध किये जाने की नहीं है। गंभीर रूप से रूग्ण मरीजों के लिये त्वरित रक्त की व्यवस्था कर मरीज का जीवन बचाये जाने की स्थिति में उत्पन्न होना हर चिकित्सालय में संभावित है। गंभीर मरीजों के लिये जिला अस्पतालों में अपने स्वयं की व्यवस्था या वैकल्पिक व्यवस्या के माध्यम से आवश्यकतानुसार आवश्यक समूह का रक्त प्राप्त हो सके, इस हेतु शासन अपने स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारी-गण तथा चिकित्सा विशेषज्ञों से बात कर एक ऐसी योजना निर्मित करें जिससे या तो अस्पताल से ही रक्त प्राप्त हो सके या रक्तदाता अथवा स्वयं सेवी गैर शासकीय संस्थाओं से त्वरित आवश्यकतानुसार रक्त प्रापत हो सके। अनुशंसा क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को शासन तीन माह में अवगत करावे।
27.	समाचार पत्र 'राजएक्सप्रेस' दि 19.9.2007 छतरपुर	'रिश्वत न देने पर गर्भवती को भगाया' अस्पताल गेट के बाहर बच्चे का जन्म माँ बचा न सकी, नवजात को सुअर खा गए।	11.7.2008	**प्रकरण क्रमांक 7356/2007-08 जिला विदिशा** (1) गर्भवती महिला श्रीमती ममता बाई पति श्री लेखराज नामदेव को सामुदायिक स्वा. केन्द्र लटेरी जिला विदिशा में न तो आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा और न ही सुरक्षा प्रदान की गई और न ही उसके लिए किसी अन्य अस्पताल में ले जाने केलिये परिवहन व्यवस्था की गई। यह कृत्य उसके स्वास्थ्य के मानव अधिकार का हनन है। अतएव गर्भपात होकर उसके नवजात शिशु को सूअर उठाकर ले जाने की घटना से उसे जो मानसिक और शारीरिक क्लेश हुआ उसकी क्षतिपूर्ति के लिए शासन अंतरिम राहत के रूप में उसे रुपये 10,000.00 (रुपये दस हजार) की राशि एक माह में प्रदान कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। शासन चाहे, तो प्रदान की गई राशि दोषी चिकित्सक एवं नर्सेस से नियमानुसार वसूल करने हेतु स्वतंत्र है। (2) शासन से यह भी अपेक्षा की जाती है कि शीघ्रातिशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लटेरी के परिसर में साफ-सफाई रखने के लिए एवं सुअरों का रात-दिन का प्रकोप एवं न्यूसेंस न बढ़े इस हेतु केन्द्र के परिसर को कम्पाउण्ड वाल से व्यवस्थित रूप से सुरक्षित करे तथा अस्पताल परिसर की नियमित सफाई की जाए। अस्पताल की ऐसी कोई भी सामग्री परिसर में न फेंकी जाए, जिससे सुअरों की आवाजाही अस्पताल परिसर के निकट हो सके।

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				(3) इस घटना के परिप्रेक्ष्य में शासन सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला अस्पतालों के लिये कम्पाउण्ड वाल एवं अस्पताल परिसर में साफ-सफाई के लिए आवश्यक योजना बनाये और उसका सफलता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।
28.	श्री राममिलन वर्मा पो. मु. मुकुन्दपुर जिला सतना (म.प्र.)	मृतिका अंजू वर्मा के मामले में न्यायिक जाँच में पाई जाने वाली जाँच में अनियमितता तथा आपत्ति के साथ आवेदन पत्र.	17.7.2008	**प्रकरण क्रमांक 7298/2007-08 जिला सतना (पुलिस)** (1) किशोर न्याय (बालको/बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण) के पालन अधिनियम 2000 के सफल कार्यान्वयन की दिशा में शासन विभिन्न जिलों में कार्यरत बाल कल्याण समितियों के पुनर्गठन पर विचार करें, जिनमें ऐसे पुरुष-महिलाओं को शमिल किया जावे जो बाल मनोविज्ञान या बाल शिक्षा विशेषज्ञ हो अथवा बालक-बालिकाओं के सामाजिक विकास के सेवा कार्य करने का अनुभव रखते हों। (2) समिति के समुचित गठन के पश्चात् विश्वमान्य बालकों के मानव अधिकार अनुबंध पर आधारित केन्द्रीय अधिनियम में बाल कल्याण समिती के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व और उनसे अपेक्षित कर्तव्यों का उन्हें भाव कराने हेतु शासन क्रमवार कार्यशालाएं आयोजित करें जिसमें आयोग का सहयोग और सह भागिता पर विचार किया जाये। (3) बाल कल्याण समिति रीवा द्वारा बालिका अंजू वर्मा के जीवित अवस्था में जो कार्यवाही की गई उसकी फोटोप्रति प्राप्त हुई है। वह एक दोषपूर्ण प्रक्रिया को उजागर करती है। बाल कल्याण समिती ने अपनी कार्यवाही में निधारित दिनांक को जब बालिका प्रस्तुत हुई तब किस तरह की उससे बातचीत की तथा क्या बालिका ने अपनी इच्छा या मत प्रदर्शित किया तथा उसके संरक्षण व भविष्य के लिये किस प्रकार की सहायता शासन स्तर पर सभ्य समाज से अथवा गैर शासकीय संस्थाओं से मांगी गई या नहीं इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। (4) बाल कल्याण समिती रीवा तथा समकक्ष अन्य जिलों की समितियों का ध्यान अधिनियम 2003 में बने नियमों की ओर विशेष रूप से अध्याय - 3 में दिये नियम 15 (5), 15 (7), 20 (1) 20 (5) की तरफ आकृष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। इन नियमों के अनुसार यदि बालिका के पालक उसे संरक्षण देने के लियेतैयार नहीं है तो इस संबंध में प्राबेशन आफीसर से अपेक्षित है कि वे व्यक्तिगत रूप से बालक-बालिकाओं की समस्या जानकर उसके संरक्षण एवं भविष्य के लिये उनकी क्या आवश्यकता है या मदद की आकांक्षा से इस संबंध में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करे तथा समिति का उत्तरदायित्व है कि यदि बालक/बालिका के नैसर्गिक संरक्षक यानी माता-पिता या पालक उसे परिवार में प्रवेश देने के लिये राजी नहीं है तब उसे किसी अन्य परिवार को गोद देने या उसे अन्य कुटुंबों द्वारा सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। बालगृह में

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				बालिका अंजु वर्मा लगभग तीन माह निवासरत थी। बाल कल्याण समिति रीवा द्वारा उपरोक्त उल्लेखित नियमानुसार उसे कौटुम्बिक एवं सामाजिक सहायता दिलाने का कोई प्रयत्न किया गया हो ऐसा प्रकट नहीं होता। इस प्रकार अधिनियम का मूल उद्देश्य ही असफल हुआ। (5) आयोग द्वारा बच्चों के मानव अधिकार पर कार्यरत सभी विभाग अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये दिशा निर्देश जारी किये थे व जो साहित्य निर्मित किया गया है उन्हें छपवाकर प्रत्येक बाल गृह और किशोर न्याय संस्था को भेजना आवश्यक प्रतीत होता है। (6) इस अनुशंसा के साथ आयोग में प्रस्तुत विषय पर उपलब्ध साहित्य भेजा जा रहा है, जिसका शासन स्वयं प्रकाशन कर सकता है या आयोग से इस संबंध में सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। (7) शहडोल संप्रेक्षण गृह तथा प्रदेश के अनेक संप्रेक्षण गृहों में न तो पूर्णकालिक अधीक्षक हैं और न प्रोबेशन आफीसर्स नियुक्त हैं न ही उत्पीड़ित एवं उपेक्षित बालक/बालिकाओं पर निगरानी रखने के लिये 24 घंटे चौकीदारी की व्यवस्था है। शासन को सजग होकर रिक्त पदों को तुरंत भरने की आवश्यकता है। प्रत्येक बाल एवं संप्रेक्षण गृह तथा अन्य बच्चों के लिये गठित संस्थाओं से अपेक्षित है कि स्थानीय क्षेत्र के ऐसे संभ्रांत पुरुष/स्त्रियों एवं परिवारों जो बच्चों की देखरेख शिक्षण और उन्हें स्नेह एवं सहायता देने के इच्छुक हैं उनकी लिस्ट तैयार रखें एवं आवश्यकतानुसार उनकी सहायता प्राप्त करे, ताकि समाज के उग्र असंवेदनशील सामाजिक तत्व अतिउत्तेजित होकर असंतुलित रूप से ऐसी घटनाओं में हस्तक्षेप कर अल्प आयु की बालक/बालिकाओं के जीवन की त्रासदी का कारण न बने। (8) अंत में आयोग पुन: अपनी पूर्व में की गई अनुशंसा दोहराना चाहेगा कि प्रत्येक जिलों व बड़ी तहसीलों में अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सलाहकर सतितियां जो आयोग द्वारा प्रस्तवित की गई थी, उन्हें गठित कर सुचारू रूप से संचालित करें। पीड़ितों के मानव अधिकार संरक्षण की दिशा में यह उचित व महत्वपूर्ण कदम होगा, ताकि जिन जिलो में गैर शासकीय स्वयं-सेवी संस्थाएँ कार्यरत नहीं हैं वहाँ सभ्य समाज से पीड़ित एवं उपेक्षित बालक/बालिकाओं को सहायता और समर्थन प्राप्त हो सके। सुलभ संदर्भ हेतु आयोग इस अनुशंसा के साथ पूर्ण अधिनियम को सफल रूप से कार्यान्वित करने के लिए जो सुझाव व दिशा निर्देश भजे थे उस संबंध में प्रकाशित साहित्य संलग्न है। उपरोक्त अनुशंसाओं के पालन में की गई कार्यवाही से आयोग को दो माह में अवगत कराया जावे।
29.	श्री प्रेमनारायण रावत बड़ा बाजार सागर	सागर केन्द्रीय जेल के जेल अधीक्षक पाण्डे और	23.7.2008	**प्रकरण क्रमांक 6101/07-08 जिला सागर (जेल)** (1) प्रमुख सचिव, जेल विभाग दो माह में मृतक बंदी बिहारी पुत्र प्रेमनारायण रावत के उत्तराधिकारियों

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
	(म.प्र.)	चक्कर पी.डी. श्रीवास्तव और जेलर कुशवाहा ने मिलकर पुत्र बिहारी रावत की हत्या करने बाबत्		को रुपये एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में उपलब्ध करावे। (2) जेल महानिदेशक यह सुनिश्चित करें कि जेल में प्रविष्ट होते ही या उसके तत्काल पश्चात बंदियों का परीक्षण टी.बी., कैंसर, एच.आई.वी., मलेरिया, टाइफाईड जैसे गंभीर रोगों के संबंध में कराया जावे, जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जावे। यदि आवश्यकता हो तो अन्यत्र भेजकर उनका उपचार कराया जावे जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
30.	श्री रामनाथ ग्राम पथरिया थाना तह. लखनादौन जिला - सिवनी	डॉक्टर जगदीश प्रसाद द्वारा पत्नी के पेट का ऑपरेशन नियम विरुद्ध ढंग से कर मौत के मुँह में ढकेलने के संबंध में डाक्टर प्रसाद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही किये जाने बाबत्	11.8.2008	**प्रकरण क्रमांक 8185/07 जिला सिवनी (स्वा.)** (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी के डॉ. जगदीश प्रसाद के अनावश्यक ऑपरेशन व त्रुटिपूर्ण इलाज के कारण आवेदक के पत्नी की मृत्यु के लिये प्रतिनिधित्व दायित्व के आधार पर शासन क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी है। मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार मानव अधिकार है। जिला चिकित्सालय सिवनी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन के शासनाधीन चिकित्साकगण द्वारा आवेदक की पत्नी को उचित समय में उचित सलाह व इलाज न देकर और अनावश्यक रूप से उसके पेट का ऑपरेशन करने से उसकी मृत्यु हो गई यह उसके इलाज में हुई लापरवाही उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन ही कहा जायेगा। (2) आवेदक की पत्नी की मृत्यु के लिये अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में शासन आवेदक को रुपये 50,000 की राशि एक माह में प्रदान कर पालन प्रतिवेदन आयोग में प्रस्तुत करे। (3) आयोग यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि शासन इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर जाँच कर पुन: यह सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र है कि डॉ. जगदीश प्रसाद का चिकित्सक के रूप में आचरण किस सीमा तक दोषपूर्ण था। विभागीय जाँचमें दोषी पाये गये चिकित्सक से आवेदक को प्रदाय की गई क्षतिपूर्ति की राशि, शासन नियमानुसार वसूल करने के लिए स्वतंत्र है।
31.	श्री जगत सिंह खंगार स्काउट शिक्षक शा. हाई. स्कूल बछौड़क थाना दिगौड़ा जिला-टीकमगढ़अ	राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त थाना प्रथारी दिगौड़ा ी गुडागर्दी एवं आतंक के संबंध में।	29.8.2008	**प्रकरण क्रं. 11400/2006-07 जिला टीकमगढ़** (1) राज्य शासन, आवेदक श्री जगत सिंह खंगार निवासी ग्राम दिगौड़ा जिला टीकमगढ़ को 20,000/- (बीस हजार) रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान करे। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अनावेदक प्रधान आरक्षक श्री महेश प्रसाद रिछारिया, प्रधान आरक्षक श्री महिपत सिंह तोमर, रक्षक श्री काजी अजीमुद्दीन एवं आरक्षक श्री रामचन्द्र नायक से आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है।

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				(2) उपरोक्त चारों पुलिस कर्मचारी यथा प्रधान आरक्षक श्री महेश प्रसाद रिछारिया, प्रधान आरक्षक श्री काजी अजीमुद्दीन एवं आरक्षक श्री रामचन्द्र नायक के विरूद्ध विभागीय जाँच संस्थापित की जाए एवं विभागीय जाँच के अंतिम परिणाम से आयोग को अवगत कराया जाये। (3) श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक अपने अधिनस्थ कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण न रखने उन्हें अवैधानिक कर्तव्यों में सहयोग करने, थानों के प्रलेखों तथा मामले में पेश पंचनामा, रिपोर्ट आदि का अवलोकन न करने एवं उसकी तस्दीक न करना, इन सभी प्रकार की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के दोषी पाये जाते हैं। उनके विरुद्ध शासन, विभागीय स्तर पर समुचित दण्डात्मक कार्यवाही करें एवं उनके गोपनीय चरित्रावली में भी उपयुक्त, टीप अंकित करने पर विचार करें। उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।
32.	करण सिंह ग्राम – बीलखेड़ी तह. – नटेरन जिला – विदिशा	डाक्टरर्स की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु होने विषयक	15.9.2008	**प्रकरण क्रमांक 8551/2006-07 जिला विदिशा** (1) आवेदक की पत्नी को प्रसव के दौरान जो शारीरिक पीड़ा एवं गर्भस्थ शिशु की मृत्यु से जो भावनात्मक एवं आर्थिक नुकसान हुआ। उसके लिये अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में शासन, आवेदक की पत्नी को रुपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार) की राशि एक माह में प्रदान कर पालन प्रतिवेदन आयोग में प्रस्तुत करें। (2) आयोग यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि यद्यपि आयोग ने इस प्रकरण में अनुसंधान दल के सदस्य के माध्यम से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच निष्पादित करवायी थी, फिर भी विभागीय स्तर पर तीनों चिकित्सकगण एवं महिला नर्स के विरूद्ध समुचित जाँच कर शासन अंतरिम क्षतिपूर्ति की दी गई राशि उनसे उन्हें दोषी पाये जाने पर, उनके दोष के अनुपात में, वसूल करने के लिये स्वतंत्र हैं।
33.	अधीक्षक केन्द्रीय जेल, जबलपुर	बंदी जगदीश उर्फ रमाकांत पिता सालिगराम की दिनांक 1.3.07 को हुई मृत्यु बाबत्	17.9.2008	**प्रकरण क्रमांक 13984/2006-07 जिला जबलपुर** (1) दो माह में मृतक बंदी जगदीश पुत्र सालिगराम जिसकी उम्र 50 वर्ष थी उसके उत्ताराधिकारियों को रुपये एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करे कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बंदी की जाँच उसके आंतरिक अवयवों सहित गंभीर रोगों के संबंध में करायी जावे। जिसकी पुर्नवृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकसानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे जिससे की उसकी अकाल मृत्यु को टाला जा सके।

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
34.	समाचार दैनिक भास्कर दिनांक 29.10.04	बिजली कटी चार मरीजों की मौत	7.10.2004	**प्रकरण क्रमांक 9448/2004-05 जिला भिण्ड** सभी शायकीय अस्पतालों में आवश्यकतानुसार जनरेटर/इनवर्टर क्रय कर उपलबध कराये जावें ताकि अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण चिकित्सा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो। इस संबंध में की गई कार्यवाहीका प्रतिवेदन एक माह की समय-सीमा में शासन को उपलब्ध कराया जावे। लोक स्वा. एवं परिवार क. विभाग, तत्कालीन आयुक्त, चंबल संभाग द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में दिये गये सुझावों को अनुशंसा के रूप में आयोग को प्रेषित कर उनहें दो माह में उनके द्वारा आदेशित जाँच रिपोर्ट के सुझावों और विभाग द्वारा जारी प्रपत्रों के निर्देशों का किस सीमा तक पालन हो चुका है और किस सीमा तक होना है उस संबंध में अपना पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
35.	केन्द्रीय जेल, भोपाल	बंदी मुन्ना उर्फ मानसिंह पिता ओझा गौड़ की दिनांक 13.5.06 को हुई मृत्यु बाबत्	15.10.2008	**प्रकरण क्रमांक 3016/2006-07 जिला राजगढ़** (1) दो माह में मृतक बंदी मुन्ना उर्फ मानसिंह पुत्र ओझा गोंड के उत्तराधिकारियों को रुपये एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभाग उपलब्ध करावे क्योंकि मृत्यु के समय उसकी उम्र 38 वर्ष के लगभग थी। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जेल में प्रविष्ट होने के समय और उसके पश्चात् प्रत्येक 6 माह में जेल में निरुद्ध बंदी की जाँच, गंभीर रोगों जैसे टी.बी., कैंसर, एच.आई.वी., निमोनिया, अस्थमा आदि के संबंध में करायी जावे, जिससे कि उनके संबंध में उचित उपचार उपलब्ध कराया जा सके एवं बंदियों को असमय व अकाल मृत्यु से बचाया जा सके।
36.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, उज्जैन (म.प्र.)	केन्द्रीय जेल उज्जैन में दंडित बंदी रमेश पिता कानाजी की दिनांक 9.10.06 को हुई मृत्यु की सूचना बाबत्।	5.11.2008	**प्रकरण क्रमांक 8286/2006 जिला उज्जैन** (1) मृतक बंदी रमेश पुत्र कानाजी जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, उसके उत्तराधिकारियों को रुपये एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में मध्यप्रदेश शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बंदी की जाँच उसके आंतरिक अव्यवों सहित गंभीर रोगों के संबंध में करायी जावे जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
37.	अधीक्षक, उपजेल, मण्डला (म.प्र.)	बंदी कारूलाल पिता लक्ष्मण की दिनांक 8.7.07 को हुई	18.11.2008	**प्रकरण क्रमांक 6601/07 जिला मण्डला (जेल)** (1) मृतक बंदी कारूलाल पुत्र लक्ष्मण जिसकी उम्र 32 वर्ष थी उसकी उत्तराधिकारियों को रुपये एक

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
		मृत्यु बाबत्		लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक, म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बी के आंतरिम अव्यवों सहित गंभीर रोगों के संबंध में जाँच करायी जावे, जिसकी पुर्नावृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे, जिससे कि उनको अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
38.	जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इन्दौर (म.प्र.)	बंदी सलदार पिता महारिया की दिनांक 30.8.2007 को हुई मृत्यु बाबत्	24.11.2008	**प्रकरण क्रमांक 8305/2006-07 जिला इन्दौर** (1) दो माह में मृतक बंदी सलदार पुत्र महारिया जिसकी उम्र 30 वर्ष थी उसके उत्तराधिकारियों को रु. एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में मध्यप्रदेश शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करे कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बी की जाँच उसके आंतरिक अवयवों सहित गंभीर रोगों के संबंध में करायी जावे, जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा, आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे, जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
39.	डॉ. रजनी भण्डारी थेलेसीमिया एण्ड चाइल्ड वेलफेयर ग्रुप इन्दौर	बच्चों को रैलियों में उपयोग हेतु	25.11.2008	**प्रकरण क्रमांक 14061/2007-08 जिला इन्दौर** शासन से पालन प्रतिवेदन एक माह में मंगाया जाये।
40.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, सागर	बंदी सतीश पिता हरिशंकर की दिनांक 25.1.2008 को हुई मृत्यु बाबत्	18.12.2008	**प्रकरण क्रमांक 12552/2007-08 जिला सागर** (1) केन्द्रीय कारागार सागर में समुचित सुरक्षा के लिये रात की ड्यूटी के लिये प्रहरी न होने से दो बंदियों के बीच गंभीर मारपीट की घटना संभव हो सकी, क्योंकि उक्त जेल में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारीगण उसे रोक नहीं सके। दण्डाधिकारी के निष्कर्ष में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृत बंदी सतीश एवं हरप्रसाद में आपस में विवाद और झगड़ा था इसकी जानकारी होते हुए भी जेल प्रशासन ने इन्हें भिन्न वार्डो में नहीं रखा फलस्वरूप दोनों में झगड़ा मारपीट होकर एक की मृत्यु हो गई। दण्डाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में लेख निष्कर्ष के आधार पर आवश्यक प्रतीत होता है कि शासन किसी वरिष्ठ जेल अधिकारी से दण्डाधिकारी की जाँच के आधार पर पुन: इस दिशा में जाँच कर

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
				सुनिश्चित करें कि मृत्यु की घटना के संबंध में किन व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी एवं जवाबदारी थी एवं किसी कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण दो बंदियों के झगड़े ने गंभीर स्वरूप ले लिया था जिसके परिणाम स्वरूप एकबंदी की मृत्यु हुई। (2) दण्डाधिकारी जाँच रिपोर्ट के आधार पर म.प्र. शासन के गृह विभाग एवं जेल प्रशासन ने क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जिससे इस तरह से घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके तथा इस परिप्रेक्ष्य में जेल व्यवस्थाओं में क्या सुधार किया गया इस संबंध में आयोग को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से दो माह में अवगत करावें।
41.	अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा	बंदी जगदीश पिता की दिनांक 20.4.2008 को हुई मृत्यु बाबत्	18.12.2008	**प्रकरण क्रमांक 706/08-09 जिला खण्डवा (जेल)** (1) जिला जेल खण्डवा में 50 वर्षीय बंदी जगदीश पिता हरनारायण को जेल प्रविष्टि के तत्काल बाद सघन उपचार न दिये जाने से हुई उसकी मृत्यु के लिये शासन अंतरिम राहत के रूप में 50,000/- रुपये की राशि मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों को दो माह में प्रदान कर, पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें। (2) शासन जिला जेल, खण्डवा में कम से कम एक पूर्णकालिक चिकित्सा एवं एक पूर्णकालिक कंपाउंडर तथा समुचित चिकित्सा सुविधाओं एवं दवाईयों की व्यवस्था करे। साथ में यह भी आवश्यक है कि एक अंशकालिक विशेषज्ञ की जिला अस्पताल से प्रति सप्ताह या प्रति 15 दिवस में जिला जेल, खण्डवा में ड्यूटी लगाई जावे एवं इस ड्यूटी अवधि में उसे कोई अन्य कार्य न दिये जावे। जिससे बंदियों के इलाज में विध्न उत्पन्न न हो। (3) आयोग के मत से मरीज बंदियों को होमगार्ड के संरक्षण में उपचार हेतु भेजने में किसी भी तरह की वैधानिक अड़चन नहीं है। जैसा पुलिस मुख्यायल द्वारा अपने एक प्रतिवेदन में कहा गया था। शासन उस अनुशंसा पर पुन: विचार कर पर्याप्त संख्या में समयानुसार जेल अधीक्षकों को मरीज बंदियों को उपचार हेतु सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें एवं उसका सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करे। अनुशंसा क्रमांक दो एवं तीन के संबंध में शासन ने समुचित चिकित्सीय व्यवस्था जिला जेल, खण्डवा में किये जाने हेतु क्या कारगर कदम उठाये, उसकी जानकारी तीन माह में आयोग को भेजी जावे।
42.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, छतरपुर (म.प्र.)	बंदी रामू उर्फ रामबाबू पिता बालाप्रसाद लोधी की दिनांक 5.5.2007	18.12.2008	**प्रकरण क्रमांक 1453/2007-08 जिला छतरपुर** (1) प्रमुख सचिव, जेल विभाग, म.प्र. शासन मृतक बंदी रामू उर्फ रामबाबू पुत्र बालाप्रसाद जिसकी उम्र 35 वर्ष थी उसके उत्तराधिकारियों को रुपये एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
		को हुई मृत्यु बाबत्		का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करे कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बंदी की जाँच विशेष रूप से उसके आंतरिक अवयवों सहित गंभीर रोगों के संबंध में करायी जावे। जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञ से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे। जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
43.	श्री बनेसिंह निवासी सुनवानी भोपाल तह. देवास	पुलिस द्वारा हत्या करने पर सी.बी.आई. द्वारा उच्चस्तरीय जाँच कर जाति द्वेषता के कारण षडयंत्र के तहत हत्या कर साक्ष्य छिपाने आदि के तहत कायमी कर अरेस्ट करने तथा दोषी पुलिसकर्मियों को बरखास्त करने व राहत राशि देकर अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु	29.12.2008	**प्रकरण क्रमांक 2134/2006-07 जिला देवास (पुलिस)** राज्य शासन द्वारा मृतक बंदी के परिवारजनों को 50,000/- रुपये की अंतरिम राहत राशि का भुगतान किया जाए। अनुशंसा का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाए।
44.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली 110001	म.प्र. के सिरपुर को हदड़2 जामली मार्ग पर सुक्ता नदी पर निर्माण हेतु पुराने क्षतिग्रस्त ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाने के दौरान दो व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में है।	2.11.2008	**प्रकरण क्रमांक 7477/2008 जिला खण्डवा** शासन के वे विभाग जो निर्माण कार्य करवाते हैं इन सुझावों के आधार पर ऐसी व्यवस्था तैयार कार्यरत् कोई भी अधिकारी कर्मचारी एवं किसी अन्य व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु अथवा उसे कोई चोट या क्षति कारित न हो। चूँकि इस संबंध में शासन के स्तर पर सघन जाँच सम्पन्न होकर ठेकेदार के माध्यम से समुचित कार्यवाही सम्पन्न करा ली गई है। अतएवं आयोग को किसी प्रकार की अतिरिक्त अनुशंसा करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शासन के विभागों तथा ठेकेदारों द्वारा उनके पालन की सुनिश्चितता करें। इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को दो माह में अवगत कराया जाए। इन निर्देशों के साथ प्रकरण आयोग में नस्तीबद्ध किया जाता है।
45.	समाचार पत्र दै. जागरण 11.10.08 पत्रिका 13.10.08	दिनांक 09 एवं 10.10.08 को घटित साम्प्रदायिकउन्माद एवं आपराधिक घटनाओं के	14.1.2009	**प्रकरण क्रमांक 8229/2008 जिला बुरहानपुर** बुहरानपुर में घटित दंगे में जो भी व्यक्ति आहत या हताहत हुए हैं उन्हें शासन द्वारा दी गई तात्कालिक अंतरिम राहत की राशि को मिलाकर, दंगे से हुई। प्रत्येक मृत्यु से प्रभावित मृतक के परिवारजन को, अंतरिम राहत के

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
	नवभारत 13.10.08 राज एक्सप्रेस 13.10.08 हिन्दुस्तान टाईम्स 13.10.08	संबंध में		रूप में कुल रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की राशि, और दंगें में आहत व्यक्तियों को उन्हें कारित देह क्षति के अनुपात में आर्थिक सहायता प्रदान करे। ऐसे दंगा पीड़ित व्यक्ति जो दंगे के परिणाम स्वरूप अपना व्यवसाय या रोजगार खो चुके हैं या जिन्हें रहने का स्थान नहीं है या जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई हो उन्हें पुर्नस्थापित करने की शासन अविलम्ब कार्यवाही करे और की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत करायें। शासन द्वारा की गई परिणाम कारक जानकारी से, आयोग दो माह में अवगत होना चाहेगा।
46.	छोटे सिंह ग्राम - रामगढ़ी थाना - माचलपुर तह. - जीरापुर जिला - राजगढ़अ	थाना प्रभारी माचलपुर श्री तवारी एवं स्टाफ द्वारा बगैर वारंट के पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाओं से भद्रता करना व घर का सामान की तलाशी बाबत्	15.1.09	**प्रकरण क्रमांक 3298/2007 जिला राजगढ़ (पुलिस)** अनावेदक श्री आर.एन. तिवारी, उपनिरीक्षक, तत्कालीन थाना प्रभारी थाना माचलपुर के विरुद्ध विभागीय जाँच से स्थापित की जाए और विभागीय जाँच उपरान्त विधिवत् कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया जाए। अनुशंसा का पालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाए।
47.	गुलाब सिंह सेंगर तलैया मुहल्ला लौड़ी जिला - छतरपुर	प्रार्थी की अनुपस्थिति में अनाधिकृत रूप से लौड़ी थाना नगर निरीक्षक एवं अन्य पुलिस बल द्वारा रात्रि में घर में जबरन प्रवेश करने एवं परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए बेईज्जत करने के संबंध में।	16.1.09	**प्रकरण क्रमांक 12944/2006-07 जिला छतरपुर (पुलिस)** प्रकरण में निरीक्षक श्री के.एल. वर्मा उप पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन थाना प्रथारी लौड़ी को दोषी पाता है और प्रकरण में आयोग निम्न अनुशंसा करता है कि:- 'भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा न मिले और इस प्रकार एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि थाना के प्रभार में हैं, आम आदमी को प्रताड़ित न करे, इसलिये यह आवश्यक है कि श्री विक्रम वर्मा के विरुद्ध विभाग उचित विभागीय कार्यवाही कर आयोग को सूचित करे। अनुपालन एक माह में किया जावे।
48.	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, भोपाल	बंदी गोपाल सिंह पिता रम्मू की दिनांक 17.5.2007 को हुई मृत्यु बाबत्	20.1.2009	**प्रकरण क्रमांक 2147/2007 जिला भोपाल** (1) प्रमुख सचिव, जेल विभाग म.प्र. शासन दो माह में, मृतक बंदी गोपाल सिंह पिता रम्मू के उत्तराधिकारियों को रुपये एक लाख की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करें कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बंदी की जाँच उसके आंतरिक अवयवों सहित गंभीर रोगों के संबंध में करायी जाने जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञों से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे, जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
49.	केन्द्रीय जेल, भोपाल (म.प्र.)	बंदी गज्जू उर्फ गजराज पिता बंशीलाल की दिनांक 25.1.08 को हुई मृत्यु के संबंध में	23.1.2009	**प्रकरण क्रमांक 12548/2007-08 जिला भोपाल** (1) दो माह में मृतक बंदी गज्जू उर्फ गजराज पुत्र बंसीलाल जिसकी उम्र 38 वर्ष थी उसके उत्तराधिकारियों को रुपये 1 लाख (1,00,000/-) की राशि अंतरिम राहत के रूप में म.प्र. शासन का जेल विभाग भुगतान करे। (2) जेल महानिदेशक म.प्र. यह सुनिश्चित करे कि जेल में प्रविष्ट होने के समय ही प्रत्येक बंदी की जाँच उसके आंतरिक अव्यवों सहित गंभीर रोगों की संबंध में करायी जावे जिसकी पुनरावृत्ति एक निश्चित अवधि तीन या छः माह के बाद करायी जावे व रोगी बंदियों को विशेषज्ञों से परीक्षण व उपचार की सुविधा आवश्यकतानुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जावे, जिससे कि उनकी अकाल एवं असमय मृत्यु को टाला जा सके।
50.	श्री नन्नूलाल ग्राम - माहौर तह. व जिला गुना (म.प्र.)	प्रार्थी को पटवारी हल्का नं. 71 महेश श्रीवास्तव द्वारा मूल निवासी व आय प्रमाण पत्र पर टीप न लगाने एवं अपमानित करने बाबत् ।	23.1.2009	**प्रकरण क्रमांक 2619/2006-07 जिला गुना** (1) आवेदक के पुत्र को पटवारी द्वारा समय पर उसके फार्म में मूल निवासी होने और आय के संबंध में टीप न देने से परीक्षा से वंचित होना पड़ा उसकी आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में शासन आवेदक को रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अंतरिम राहत के रूप में प्रदान करे। (2) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर शासन द्वारा प्रदत्त अंतरिम राहत की राशि शासन, अनावेदक पटवारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा शर्तों के नियमों के प्रक्रिया अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उससे वसूल करने स्वतंत्र रहेगी। प्रस्तुत अनुशंसाएँ दो माह में पालनार्थ शासन को भेज दी जावे।
51.	वीरेन्द्र गुप्ता अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, देवरी, जिला-सागर (म.प्र.)	अधिवक्ता लीलाधर यादव के साथ उप जेल रहली में अमानवीय व्यवहार किये जाने बाबत्।	2.2.2009	**प्रकरण क्रमांक 12651/2006-07 जिला सागर** जेल विभाग के माध्यम से अनावेदक प्रभारी जेल प्रहरी जगदीश मिश्रा के विरुद्ध उसकी सेवा शर्तों को लागू नियमों के अनुसार विभागीय जाँच संस्थित करें एवं अनुविभागीय अधिकारी की जाँच में आये कथनों तथ्यों तथा आयोग के समक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर सुनिश्चित करें कि क्या अनावेदक ने कैदियों के द्वारा बंदी अधिवक्ता लीलाधर यादव की मारपीट कराई थी। विभागीय जाँच में यदि अनावेदक जगदीश मिश्रा दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें सेवा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत उचित दंड दिया जावे एवं की गई कार्यवाही से आयोग को दो माह में अवगत कराया जावे।
52.	फूलजी कीर ग्राम - माधा	पुलिस चौकी साडिया के थाना प्रभारी, सहायक निरीक्षक,	26.2.2008	**प्रकरण क्रमांक 1019/2007-08 जिला होशंगाबाद** (1) ए.एस.आई. श्री एम.एल. पटेल तत्कालीन चौकी प्रभारी साडिया एवं वर्तमान पदस्थापना पुलिस

क्रमांक	आवेदनकर्ता/सूचनादाता	विषय	अनुशंसा दिनांक	अनुशंसा
	तह. – सोहागपुर जिला – होशंगाबाद	हवलदार एवं अन्य आरक्षकों द्वारा श्रीमती सुती बाई को हिरासत में लेकर मारपीट कर हत्या करने बाबत्।		लाईन होशंगाबाद के विरुद्ध विभागीय जाँच की जाए एवं विभागीय जाँच की अंतिम परिणम से आयोग को एक माह में अवगत कराया जाए। (2) राज्य शासन द्वारा आवेदक श्री फूलजी कीर आ. श्री मलथया कीर, ग्राम माधा तह सोहागपुर होशंगाबाद को 50,000/– रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जाए। राज्य शासन चाहे तो यह राशि अथवा उसका अंश अनावेदक श्री पटेल से आवयक प्रक्रिया अपनाकर वसूल कर सकता है।
53.	अशोक वर्मा ग्राम– हतना ग्राम–पंचायत खेरी थाना – आधारताल	आवेदक को थाना आधारताल जबलपुर के पुलिस एएसआई एम.एम. दुबे द्वारा झूठे प्रकरण में फसाने एवं आवेदक की हत्या किये जाने के संबंध में।	3.3.2009	**प्रकरण क्रमांक 10663/2006–07 जिला जबलपुर** (अ) प्रकारण में निरीक्षक श्री ए.एच. रिजवी एएसआई श्री एस.के. गौरम उपनिरीक्षक एवं एएसआई श्री एम.एम. दुबे (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध विभागीय जाँच की जाए एवं विभागीय जाँच की अंतिम परिणति से आयोग को एक माह में अवगत कराया जाये। अनुशंसा का अनुपालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाए।
54.	जेल मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)	उप जेल बुढ़ार के विचाराधीन बंदी भटटसिंह पुत्र मंगल सिंह की दिनांक 28.7.2006 को हुई मृत्यु की सूचना बाबत्।	3.3.2009	**प्रकरण क्रमांक 5756/06–07 जिला शहडोल (जेल)** राज्य शासन द्वारा उप जेल बुढ़ार के विचाराधीन बंदी मृतक भटट सिंह पुत्र मंगल सिंह के परिजनों को 50,000/– रुपये की अंतरिम राहत की राशि का भुगतान किया जावे। उपरोक्त अनुशंसा का पालन एक (1) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जावे।

(जस्टिस डी.एम. धर्माधिकारी)
अध्यक्ष

(जस्टिस नारायणसिंह "आजाद")
सदस्य

(विजयकुमार शुक्ल)
सदस्य